

२८




भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिये

गंगा कार्य योजना

संघ सरकार
(वैज्ञानिक विभाग)
2000 की संख्या 5 'क'



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिये

गंगा कार्य योजना

संघ सरकार
(वैज्ञानिक विभाग)
2000 की संख्या 5 'क'

पर्यावरण और वन मंत्रालय

गंगा कार्य योजना

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन जिसमें गंगा कार्य योजना समीक्षा समिलित है, संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई कमियों को ही इस समीक्षा में समिलित किया गया है।

मुख्य-मुख्य बातें

● सहभागी राज्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, गंगा कार्य योजना ने अपने वांछित मल प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य का केवल 39 प्रतिशत ही प्राप्त किया। सरकार ने योजना के शुरू होने से अब तक कुल 987.88 करोड़ रु. दिए; राज्यों ने मार्च 2000 तक 901.71 करोड़ रु. के खर्च की रिपोर्ट दी। इस समीक्षा में 1993 से 2000 तक की अवधि के कार्यकलाप शामिल हैं जिसमें कुल 655.23 करोड़ रु. का व्यय अन्तर्गत है।

● योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों और सुविधाओं के निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति में भारी कमियाँ पाई गई। योजना की सफलता के विस्तार में यह उपलब्धियाँ अभाव की ओर संकेत करती हैं; क्योंकि इनमें से बहुत सी विभिन्न कारणों से पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से कार्य नहीं करती थी।

● मंत्रालय ने योजना के दूसरे चरण में नगरों के चयन के लिए कचरे के लक्षण और अनुप्रवाह जल गुणवत्ता के कठिन निर्णय का काम राज्यों पर छोड़ दिया, जिसके कारण राज्यों के चयन और बहुत से संदिग्ध सम्मिलनों और बहिष्करणों में एकरूपता नहीं थी। मंत्रालय के पास राज्यों के द्वारा कचरे के अनुमानों का मूल्यांकन करने के लिए कोई तन्त्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के दौरान गलत अनुमान के मामले देखे।

● मंत्रालय ने तब तक राज्यों से योजना के दूसरे चरण के संस्वीकृत खर्चे के मुख्य दस्तावेजों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अनुमोदित करने के लिए कोई समय सारणी निश्चित नहीं की थी जब तक उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका के आधार पर मजबूर नहीं किया।

● लेखा परीक्षण के दौरान नमूना जाँच में देखा गया कि मंत्रालय द्वारा संस्वीकृत और राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति में देरी हुई। लेखापरीक्षा को मंत्रालय में किसी सुनिलिपि अनुवीक्षण यंत्र का कोई अधिक प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चले कि मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के कहने पर भी राज्यों के अनुपालन के लिए कोई भी समय सारणी निर्धारित की।

● अनुवीक्षण यंत्र-प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना के अनुवीक्षण के लिए शीर्ष निकाय में नामतः राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की 1994 और 1997 में केवल दो ही बार बैठक हुई। मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा को क्षेत्र निरीक्षण के परिणामों का कोई भी रिकार्ड किया गया प्रमाण कार्यान्वयन एजेंसी के साथ समीक्षा मीटिंग तथा उस पर की गई कार्यवाही जैसे कि योजना में आदेश दिए गए थे, दिखाया नहीं गया। हरियाणा, विहार और दिल्ली राज्य सरकारों ने किसी भी शहर में नागरिक मॉनीटरिंग कमेटी का गठन नहीं किया और पश्चिम बंगाल ने 42 शहरों में से केवल 5 में कमेटियाँ बनाई। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की गठित कमेटियाँ भी कभी कभार ही मिली। अतः केन्द्रीय और राज्य स्तर पर योजना अनुवीक्षण अपर्याप्त था।

● योजनाओं का निष्पादन—योजना का फेस-I दस साल की देरी के पश्चात भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। फेस-II भी अपने निर्धारित समय से काफी पीछे है। इसे दिसम्बर 2001 में

समाप्त होना है किन्तु अभी तक वाहित मल प्रबंधन क्षमता के केवल 13.7 प्रतिशत बनने की रिपोर्ट मिली है।

● **मूल (कोर) योजना:** अवरोधन तथा विपथन योजना—बिहार द्वारा मंत्रालय की विनिर्देशिका के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण योजना के फेस-II की अवरोधन तथा विपथन योजना के लिए मंत्रालय से कोई संस्थीकृति प्राप्त नहीं हुई।

● राज्यों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान प्रशासनिक देरी के कई मामले देखे गए जिसके कारण कई बार लागत में वृद्धि, योजनाओं में दोषपूर्ण डिजाइन, भिट्ठी की जांच न करने की वजह से उपकरण का क्षतिग्रस्त होना जैसी जरुरी प्रारंभिक कार्य में कमी, दोषपूर्ण ठेका प्रबंधन, उपकरणों की चोरी, मूल्यवान उपकरणों का बेकार होना और सामान्य तौर पर दोषपूर्ण रखरखाव पाया गया।

● **मूल (कोर) योजना:** वाहित मल प्रबंधन संयंत्र—बिहार और पश्चिम बंगाल, योजना के फेस-II के लिए मंत्रालय से वाहित मल प्रबंधन संयंत्र के लिए कोई संस्थीकृति नहीं प्राप्त कर सके। बिहार में फेस-I के दौरान असंतोषजनक कार्यविधि और परिसम्पत्ति रखरखाव के कारण और पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा भूमि की उपलब्धता की पुष्टि न होने के कारण।

● लेखा परीक्षा नमूना जांच के द्वारा परिहार्य देरी के कई उदाहरण जैसेकि लागत वृद्धि, प्लाट का बेकार होना, अवरोधन तथा विपथन योजना में विषमता, तकनीकी दोष और संसाधनों का विपथन आदि पाए गए।

● **गैर-मूल योजनाएँ—योजना के गैर-मूल योजनाओं का उद्देश्य, नदी प्रदूषण को प्रभावित करने वाले संबंधित आस पास के पर्यावरण की आवश्यकता पूरी करना था। लेखापरीक्षा में नमूना जांच से आमतौर पर पता लगा कि प्रथम स्थान पर उनको लगाने में हुए विलम्ब के अतिरिक्त, अनदेखी और अनुरक्षण की कमी के कारण भारी लोक खर्च पर सृजित परिसम्पत्तियों की क्षति के मामले हो रहे हैं।**

● **परिसम्पत्तियों का प्रचालन और अनुरक्षण—मंत्रालय, योजना के अंतर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित नहीं कर सका। राज्य और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने भी परिसंपत्ति के प्रचालन और रखरखाव को नजरअंदाज किया।**

● **लोक भागेदारी—लेखापरीक्षा को मंत्रालय और राज्यों द्वारा जनता की भागेदारी में सुधार और प्रोत्साहन के लिए किसी भी शुरूआत के कोई प्रमाण नहीं पाए गये।**

● **जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग—मंत्रालय ने सितंबर 1999 से फंड की कमी के कारण जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग जोकि योजना की सफलता के तकनीकी निर्धारण का महत्वपूर्ण अंग था को बंद कर दिया। आनुषंगी साक्ष्य से जल गुणवत्ता के सभी पैरामीटरों में और गिरावट का पता चला।**

● **वैक्टरिया भार का नियंत्रण—मंत्रालय ने वैक्टरिया भार के नियंत्रण के लिए विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की।**

● **औद्योगिक प्रदूषण**—धोर प्रदूषण वाली औद्योगिक यूनिटों द्वारा केवल 45 प्रतिशत एफ्युलुएन्ट प्रबंधन संयंत्र लगाए गए। उनमें से 18 प्रतिशत से अधिक ठीक से कार्य नहीं कर रहे और तकनीकी स्तर से ठीक नहीं हैं। इन यूनिटों का 2667.16 मिलियन लीटर प्रतिदिन औद्योगिक एफ्युलुएन्ट नदी में जाता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास लगाए गए प्लांट्स संतोषजनक कार्य कर रहे हैं इसे देखने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं है।

● पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामान्य मतल-जल उपचार संयंत्र की संतोषजनक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत की जानी है और अप्रैल 1995 में उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेशित कलकत्ता के प्रतिस्थापित चर्म शोधन शालाओं के कचरे के संसाधन के लिए कामन प्रबंधन प्लांट की रक्षापना के लिए मंत्रालय से संस्थीकृति लेनी है।

● **वित्तीय प्रबंधन**—कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए 655.23 करोड़ रु. के सरकारी फंड में से राज्यों ने 587.63 करोड़ रुपये का व्यय बताया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में काफी राज्यों में वित्तीय कुप्रबंधन के उदाहरण जैसे अनधिकृत कार्यकलापों के लिए फंड विपथन (36.07 करोड़ रु.), गलत रिपोर्टिंग (6.75 करोड़ रु.) और बिहार राज्य जल परिषद द्वारा अपने व्यक्तिगत खाते में निधि संचय (1.17 करोड़ रु.) और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास अनुपयुक्त फंड (72.62 करोड़ रु.) आदि देखे गए।

विषय-प्रवेश

हिमालय में गंगोत्री से, बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक गंगा की धारा 2500 कि. मी. बहती है। 1,00,000 से अधिक की जनसंख्या वाले (प्रथम श्रेणी नगर) 29 शहर, 50,000 और 1,00,000 के बीच जनसंख्या वाले 23 नगर (द्वितीय श्रेणी नगर) और लगभग 48 कस्बों से हो बहती है। यह एक ऐसी नदी है जिसके साथ भारत के लोग आध्यात्मिक और भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं। पर्यावरण विभाग ने दिसम्बर 1984 में गंगा नदी के प्रदूषण भार को तुरंत कम करने के लिए एक कार्य योजना बनाई। मंत्रीमंडल ने अप्रैल 1985 में गंगा कार्य योजना को शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दे दी।

2. भारत सरकार ने फरवरी 1985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का, गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन को देखने के लिए गठन किया। जो उसके लिए नीतियाँ और कार्यक्रम बना सके। उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे, सितम्बर 1985 में उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया। सरकार ने जून 1985 में गंगा परियोजना निदेशालय को पर्यावरण विभाग के एक स्कॅम के रूप में स्थापित किया ताकि परियोजनाओं को केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के मार्गनिर्देश और पर्यवेक्षण में निष्पादित किया जा सके। सरकार ने जून 1994 में गंगा परियोजना निदेशालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय कर दिया।

3. तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 25 प्रथम श्रेणी के शहरों में उत्पादित गंगा कार्य योजना को व्यर्थ जल के 1340 मिलियन लीटर प्रतिदिन में से 882 मिलियन लीटर प्रतिदिन का अवरोधन, विपथन और उपचार करना था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा कार्य योजना—I को मार्च 1990 में पूर्ण करने का समय दिया था परंतु इसे मार्च 2000 तक बढ़ा


दिया। गंगा कार्य योजना-I अभी तक प्रगति पर था, केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने फरवरी 1991 में गंगा कार्य योजना-II को शुरू करने का निर्णय लिया जिसमें प्रदूषण कम करने के निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :

- (क) गंगा की सहायक नदियों अर्थात् यमुना, दामोदर तथा गोमती पर
- (ख) प्रथम चरण में छूट गए 25 नगरों में
- (ग) नदी के साथ अन्य प्रदूषण फैलाने वाले नगर

4. अप्रैल 1993 से अक्टूबर 1996 के दौरान (परिशिष्ट-I) विभिन्न स्टेजों में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गंगा कार्य योजना-II को अनुमोदित किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में गंगा कार्य योजना-II को 1912 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे के उपचार द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। गंगा कार्य योजना-II को पूरा होने के लिए दिसम्बर 2001 तक का समय दिया गया।

संगठनात्मक ढांचा

5. गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है :



परिशिष्ट-II चार्ट में बताए गए प्रत्येक निकाय का संगठन दर्शाता है।

परिचालन रूपरेखा

6. गंगा कार्य योजना का उद्देश्य वाहित मल के 2794 मिलियन लीटर प्रतिदिन को संसाधित करना था जिसमें गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत 882 मिलियन लीटर प्रतिदिन और गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत 1912 मिलियन लीटर प्रतिदिन शामिल था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से सटे शहरों में कुल अनुमानित वाहित मल उत्पादन का कुल योग 5044 मिलियन लीटर प्रतिदिन रिकार्ड किया जिसमें से अकेले दिल्ली में 2270 मिलियन लीटर प्रतिदिन था। गंगा कार्य योजना-II को दिल्ली में केवल 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन सुलझाना था तथा दिल्ली सरकार को शेष 2250 मिलियन लीटर प्रतिदिन को अलग से अपनी उपलब्ध क्षमता में वृद्धि से संभालना था।

7. प्रदूषण में कमी करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, गंगा कार्य योजना ने मूल और गैर-मूल योजनाएं शुरू की। कोर सैक्टर योजनाओं में अवरोधन तथा विपथन योजनायें तथा मल-जल उपचार संयंत्र सम्मिलित है जो कि प्याइंट प्रदूषण को सुलझाने के लिए बनाई गई हैं यह, प्रदूषण ड्रेन, वाहित मल पंपिंग स्टेशन और वाहित मल प्रणाली आदि जैसे मापने योग्य साधनों से हैं। गैर-मूल योजनाओं में निम्न लागत सफाई योजनाएं, नदी अप्रभाग विकास योजनाएं, बिजली एवं परिष्कृत लकड़ी के शवदाहगृह, ठोस कचरा तथा खुले में मल त्याग, अजले/अर्धजले शवों आदि का फेंकना जैसे गैर- प्याइंट, मापके अयोग्य प्रदूषण सम्मिलित हैं।

8. लक्षित नगरों में प्रत्येक गंगा कार्य योजना की प्रत्येक योजना के लिए, राज्यों को शहरों के प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और प्रत्येक योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के व्यय की संस्वीकृति प्राप्त करनी थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय अथवा संबंधित राज्यों द्वारा मूल अथवा गैर-मूल योजनाओं का पूर्ण व्यौरा सहित गंगा कार्य योजना I & II के अंतर्गत वाहित मल प्रबंध का व्यौरा नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है:

I: मूल योजनाओं की स्थिति

मार्च 2000

राज्य	फेस	अवरोधन तथा विपथन				मल संसाधन संयंत्र			
		योजना	वाहित लाईन (कि. मी. में)	योजना	मल संसाधन (मिलियन लीटर प्रतिदिन)				
		टी	ए	टी	ए	टी	ए	टी	ए
उत्तर प्रदेश	I	40	40	136.00	136.00	13	13	375.09	375.09
	II	51	30	95.49	72.94	16	3	1098.14	13.00
पश्चिम बंगाल	I	31	31	173.14	173.14	15	14	371.60	341.60
	II	4	0	NA	NA	0	0	373.63	0.00
बिहार	I	17	17	53.71	53.71	7	5	135.50	118.00
	II	0	0	28.68	0.00	0	0	92.18	0.00
हरियाणा	II	19	9	130.56	122.63	12	8	323.00	228.00
दिल्ली	II	0	0	0.00	0.00	2	2	20.00	20.00
कुल	I	88	88	362.85	362.85	35	32	882.19	834.69
	II	74	39	254.67	195.57	30	13	1911.95	261.00

टी : लक्ष्य; ए—उपलब्धि

II: गैर- मूल योजनाओं की स्थिति

मार्च 2000

राज्य	फेस	निम्न लागत स्वच्छता		श्मशान घाट		नदी के अग्रभाग का विकास	
		टी.	ए.	टी.	ए.	टी.	ए.
उत्तर प्रदेश	I	14	14	3	3	8	8
	II	28	11	11	10	10	2
पश्चिम बंगाल	I	22	22	17	17	24	24
	II	0	0	0	0	0	0
बिहार	I	7	7	8	8	3	3
	II	8	0	1	0	9	0
हरियाणा	II	6	4	6	6	1	1
दिल्ली	II	0	0	1	0	0	0
कुल	I	43	43	28	28	35	35
	II	42	15	19	16	20	3

टी : लक्ष्य; ए—उपलब्धि

नोट: सूचित उपलब्धि के आंकड़े रिपोर्ट की कोर तथा गैर-कोर योजनाओं पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अध्यधीन हैं।

वित्तीय रूपरेखा

9. गंगा कार्य योजना-I तथा गंगा कार्य योजना-II के लिये मंजूर की गई धनराशि क्रमशः 462.04 करोड़ रु. तथा 1276.25 करोड़ रु. थी। गंगा कार्य योजना-I का पूरा खर्च केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाना था तथा गंगा कार्य योजना-II का खर्च केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों द्वारा बराबर हिस्सों में वहन किया जाना था। नवम्बर 1998 में केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल 1997 से योजनाओं का खर्च स्वयं वहन करने का निश्चय किया क्योंकि राज्य सरकारों को अपना हिस्सा वहन करने में मुश्किल हुई।

10. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई निम्नलिखित तालिका गंगा कार्य योजना-I तथा गंगा कार्य योजना-II के लिए 1993-94 से 1999-2000 तक जारी की गई निधि तथा उस पर हुए व्यय की स्थिति दर्शाती है:

(रु. करोड़ों में)

	गंगा कार्य योजना-I		गंगा कार्य योजना-II		
	जारी	व्यय	केन्द्र	जारी राज्य	कुल
92-93 तक	332.65	314.08	—	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा वार्षिक और नहीं हिस्से के जा सके।	
93-94	46.85	46.01	11.93		1.05
94-95	27.22	20.00	8.40		17.04
95-96	12.28	19.29	13.12		19.82
96-97	12.11	15.30	94.23		128.93
97-98	3.29	13.90	80.81		101.70
98-99	2.50	3.69	86.00		108.99
99-2K	शून्य	0.41	88.54		91.50
योग	436.9	432.68	383.03	167.95	550.98
गंगा कार्य योजना-I तथा गंगा कार्य योजना-II का कुल योग				987.88	901.71

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

11. समीक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 से 1999-2000 तक गंगा कार्य योजना-I तथा गंगा कार्य योजना-II का कार्यान्वयन तथा सरकार द्वारा रु. 655.23 करोड़ की निर्मुक्ति शामिल है। इस कार्य के लिये, लेखापरीक्षा ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के दस्तावेज, नोडल विभागों के कार्यालय तथा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दिल्ली राज्यों की कार्यान्वयन एजेन्सियों का लेखापरीक्षा किया (परिशिष्ट-III)।

12. 31 मार्च 1994 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ सरकार (वैज्ञानिक विभाग) की रिपोर्ट में गंगा कार्य योजना-I पर टिप्पणियां दी गयी थीं। उस रिपोर्ट की कुछ मुख्य टिप्पणियां इस प्रकार थीं—योजनाओं को पूरा करने में देरी और तीन राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लागत वृद्धि, पूरे हुए मल-जल उपचार संयंत्र का अल्प-निष्पादन, एफलुएन्ट का अपर्याप्त प्रबंधन, विशेष तौर पर वैकिटरियल भार की समस्या को सुलझाना, कार्यान्वयन अपर्याप्त मॉनीटरिंग के कारण एजेंसियों द्वारा फंड का विपथन और अनधिकृत प्रयोग, जन जागरूकता तथा सहभागिता की कमी।

13. वर्तमान समीक्षा में लेखापरीक्षा ने पहले के कार्य को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण में कमी करने की योजनाओं के समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहा है।

वाहित मल प्रबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति

14. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय तथा राज्यों की रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित सारणी गंगा कार्य योजना के अंतर्गत राज्यों में वाहित मल प्रबंधन के लक्ष्यों की प्राप्ति दर्शाती है। सूचित उपलब्धि के अनुसार गंगा कार्य योजना ने वाहित मल प्रबंधन के लक्ष्य का केवल 39 प्रतिशत ही प्राप्त किया है:

मार्च 2000

राज्य	वाहित मल का लक्ष्य	उत्पादित क्षमता
	(मिलियन लीटर प्रतिदिन)	
उत्तर प्रदेश	1473.23	388.09
बिहार	227.48	118.00
पश्चिम बंगाल	750.23	341.60
दिल्ली	20.00	20.00
हरियाणा	323.00	228.00
कुल	2793.94	1095.69

नगरों का चयन

15. नीचे दी गई सारणी में राज्यों में चयनित शहरों की संख्या दर्शाई गई है:

नदी	नगरों की संख्या	कुल				
गंगा कार्य योजना - I	उत्तर प्रदेश विहार पश्चिम बंगाल हरियाणा दिल्ली					
गंगा	6 4 15 - -	25				
गंगा कार्य योजना - II						
गंगा	16	10	23	-	-	49*
यमुना	8	-	-	12	1	21**
गोमती	3	-	-	-	-	3
दामोदर	-	8	4	-	-	12
कुल	33	22	42	12	1	110

* उत्तर प्रदेश के 12 शहर, बिहार के 3, तथा पश्चिम बंगाल के 15 शहरों का उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों पर चयन किया गया।

** हरियाणा के 6 शहरों को उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया।

16. गंगा कार्य योजना-I ने गंगा किनारे स्थित प्रथम श्रेणी के नगरों में प्रदूषण समापन के मसले को संबोधित करना चाहा था। गंगा कार्य योजना-II के लिए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने नगरों के चयन के लिए गन्दे नालों के लक्षणों अथवा अनुप्रवाह जल की गुणवत्ता के अनुसार कोई स्पष्ट मानक निर्धारित नहीं किया, और चयन कार्य राज्यों के लिए छोड़ दिया था। तथापि, व्यय वित्त समिति ने अगस्त 1996 में हुई अपनी पहली बैठक में सिफारिश किया था कि राज्य नदियों के 3 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम जैव-रसायन आक्सीजन मांग वाले नगरों को न शामिल करें। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित नगरों में पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के 23 नगर शामिल थे जहां जैव-रसायन आक्सीजन मांग स्तर 3 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास अपने अनुमोदित 5 नगरों के जैव-रसायन आक्सीजन मांग स्तरों की जानकारी नहीं थी (परिशिष्ट-IV)।

17. दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को निकाल दिया जहां 1994 से 1999 के दौरान हमेशा जैव-रसायन आक्सीजन मांग 3 मिलिग्राम प्रति लीटर से ऊपर थी तथा 1999 में 4.8 मिलिग्राम प्रति लीटर के पास थी। गंगा में सीधे 0.6 मिलियन लीटर प्रतिदिन कच्चा कचरा गिराने वाले 8 नालों वाले बिहार के दानापुर का चयन नहीं हुआ था। इसी प्रकार, 43.07 मिलिग्राम प्रति लीटर गन्दे पानी के जैव-रसायन आक्सीजन मांग वाले पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया को शामिल नहीं किया गया यद्यपि इससे राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 30 मिलिग्राम प्रति लीटर जैव-रसायन आक्सीजन मांग के गन्दे पानी के मानक का अतिक्रमण हुआ।

कचरा उत्पादन का अनुमान

18. गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय का कचरा अनुमान, जल आपूर्ति के 80 प्रतिशत कचरा उत्पादन के साथ जन संख्या तथा जल आपूर्ति दर पर आधारित था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को पता लगा कि उल्लंघन किए जाने वाला मानक जिसके कारण कितने ही मामलों में कचरा अनुमान अधिक किया गया; तथा गंगा कार्य योजना-II में नगरों में कचरा उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए मुहानों पर नालों के वास्तविक बहाव का मानक निर्धारित किया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी जिससे राज्यों द्वारा कचरा अनुमानों का नियंत्रण तथा मूल्यांकन किया जाता। कचरा अनुमानों पर नमूना जांच की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

- (क) उत्तर प्रदेश के नोएडा नगर में 70 मिलियन लीटर का कचरा अनुमान गलत था क्योंकि इसमें ओखला बैराज पर यमुना नदी में 404 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरा गिराने वाले शाहदरा नाले का कचरा नहीं शामिल था।
- (ख) वाराणसी में 200 मिलियन लीटर प्रति दिन के अनुमान में, आखिर में गंगा नदी में मिलने वाले वरुणा नदी में घूम कर पड़ने वाला 50 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरा नहीं शामिल था।

व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन में विलम्ब

19. निम्नलिखित सारणी में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय रिकार्डों के अनुसार, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा राज्यों से प्राप्त हुई व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति तथा संस्वीकृति की स्थिति इस प्रकार है:

मार्च 2000

राज्य	व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट				
	अनुमानित	प्राप्त	संस्वीकृत	वापस हुए	बकाया
उत्तर प्रदेश	224	211	146	60	5
पश्चिम बंगाल	154	67	10	30	27
बिहार	119	65	18	47	शून्य
हरियाणा	86	85	74	11	शून्य
दिल्ली	5	3	3	शून्य	शून्य
जोड़	588	431	251	148	32

* संशोधन हेतु

20. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने राज्यों द्वारा गंगा कार्य योजना की व्योरेवार परियोजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने तथा उनकी संस्वीकृति के लिए कोई समय अनुसूची नहीं तय किया था। उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जनवरी 1996 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने तय किया कि प्रारम्भिक संभाव्यता रिपोर्ट के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने के अन्दर राज्यों द्वारा व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अन्दर उनका अनुमोदन करना था। अगस्त 1996 में, संचालन समिति ने भी राज्यों से कहा कि नवम्बर 1996 तक सभी वकाया व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जायें। फिर भी मार्च 2000 तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास केवल 73 प्रतिशत व्योरेवार परियोजना रिपोर्ट ही पहुंची थी। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने प्रस्तुत की गई इन रिपोर्टों में से केवल 58 प्रतिशत का ही अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने इन रिपोर्टों की प्राप्ति और संस्थीकृति का कोई रिकार्ड नहीं रखा था जिसके कारण उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा दिये गये आश्वासन का जिस तत्परता के साथ अनुपालन किया गया उसका लेखापरीक्षा पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं कर सका।

21. लेखापरीक्षा ने 40 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन फाईलों की नमूना जांच किया और 12 मामलों में राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में 2 से 33 महीनों का अत्यधिक विलम्ब देखा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने भी इन रिपोर्टों का अनुमोदन करने में 2 से 10 महीने लगाये (परिशिष्ट-V)। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने अनुमोदन में विलम्ब के लिये जनशक्ति की कमी को जिम्मेदार बताया। इसने अक्टूबर 1999 में यह भी बताया कि कोर योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने के लिये सर्वेक्षण, खोजवीन, रूपरेखा और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वैकल्पिक न्यूनतम लागत अनुमान आवश्यक होता है। और इस कारण राज्यों द्वारा 90 दिन के अन्दर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भेजना संभव नहीं था। यह तर्क सुसंगत नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने ही समय अनुसूची तय किया था। यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय के अनुरोध पर निर्धारित समय अनुसूची का राज्यों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के पास पर्याप्त मौनीटरिंग मशीनरी नहीं है।

योजनाओं का निष्पादन

22. शुरू में ही केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने जोर दिया था कि परियोजना का कार्यान्वयन समयवद्ध तरीके से होना चाहिए। राज्यों और राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से साथ साथ काम करने की उम्मीद की गई थी ताकि समय अधिक न लगे। 10 वर्षों से भी अधिक के विलम्ब के बाद भी, गंगा कार्य योजना-I पूरी नहीं हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि गंगा कार्य योजना-II भी अपने समय से बहुत पीछे है। दिसम्बर 2001 इसका समापन समय है, फिर भी पता लगा है कि अभी तक कचरा उपचार क्षमता के लक्ष्य का केवल 13.7 प्रतिशत ही सृजित हुआ है। लेखापरीक्षा ने योजनाओं के नियोजन, निष्पादन और निष्कल तथा परिहार्य व्यय की विसंगतियों के कई मामले देखे जो निम्नलिखित पैराग्राफों में बताये गये हैं :

मूल योजनाएँ: अवरोधन तथा विपथन योजनाएँ

बिहार

23. गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने 17 अवरोधन तथा विपथन योजनाएँ मंजूर की, जिसमें 53.71 कि. मी. की सीधर लाईन डालने का काम शामिल था। बिहार राज्य जल परिषद् ने यथा सूचित यह लक्ष्य मार्च 2000 तक प्राप्त कर

लिया था। गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत, इसको 23.66 कि.मी. की सीवर लाईन बिछानी थी और 5.02 कि.मी. की सीवर लाईन को मजबूत करना था। तथापि, बिहार राज्य जल परिषद् ने मार्च 2000 तक सीवर लाईन डालने और उसे मजबूत करने का काम शुरू नहीं किया था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के मार्ग निर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नहीं दी जा सकी और परिणामतः गंगा कार्य योजना-II के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से कोई भी अवरोधन तथा विपथन योजना की मंजूरी नहीं ली जा सकी।

24. गंगा परियोजना निदेशालय ने 6.9 मिलियन लीटर प्रतिदिन के कचरा के विपथन के लिये एरजीविशन रोड पम्पिंग स्टेशन पटना को दोबारा चलाने के लिये 20.70 लाख रु. मंजूर किया। बिहार राज्य जल परिषद् ने आने वाले और जाने वाले कच्चे कचरे के प्रवाह का सही—सही निर्धारण नहीं किया। इसने चार सीवर लाईनें डाली। एक 9 इंच व्यास की, दो 15 इंच व्यास की तथा एक 18 इंच व्यास की आने वाले कचरे के लिए लेकिन जाने वाले कचरे के लिए 18 इंच व्यास की थी। दोषपूर्ण रूपरेखा के कारण चार मैनहोलों के ऊपर से कचरा बहता रहा और कचरा उपचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

25. बिहार राज्य जल परिषद् ने दिसम्बर 1988 में कृष्णा घाट से कचरा विपथन कार्य 14.72 लाख रु. की लागत से निष्पादित किया। तथापि, पटना नगर कमेटी द्वारा नालों को सीधे सीवर लाईन में अनधिकृत रूप से जोड़ने के कारण कचरे को विपथित नहीं किया जा सका। जिसके परिणामस्वरूप कचरा ऊपर से बह कर कृष्णाघाट से सीधे गंगा में जाता रहा।

पश्चिम बंगाल

26. गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने अवरोधन तथा विपथन की 4 योजनाएं मंजूर की। मार्च 2000 तक कार्यान्वयन एजेंसियों ने एक भी पूरा नहीं किया, यद्यपि, तीन योजनाओं की निर्धारित तिथि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत कलकत्ता मैट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण ने सीवर लाईन डालने के लक्ष्य और प्राप्ति के बारे नहीं दिये। लेखापरीक्षा की नमूना जांच से कार्य के कुप्रबन्धन के निम्नलिखित मामले देखे गये:

(क) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने कॉशीपुर—चितपुर, पश्चिम बंगाल के तीन पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य दिसम्बर 1988 में एक ठेकेदार को बिना जमीन उपलब्ध कराये सौंपा था। ठेकेदार पम्पिंग स्टेशन-II पूरा करने और 68.23 लाख रु. की उपस्कर आपूर्त करने के बाद दिसम्बर 1992 में काम छोड़ गया। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने फरवरी 1997 में उपस्कर को अपने अधिकार में लिया तब तक कुछ उपस्कर गुम हो गये थे। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को उनके रथान पर 12.75 लाख रु. के और उपस्कर खरीदने पड़े थे। इसने पम्पिंग स्टेशन एक और तीन के लिये वैकल्पिक जमीन की व्यवस्था की और जनवरी 1995 में निविदायें मांगी। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण वैधता की चार महीने की अवधि में निविदाओं को अन्तिम रूप नहीं दे सका। न्यूनतम निविदा देने वाले ने अपनी निविदा की वैधता अवधि बढ़ाने से मना कर

दिया। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को दिसम्बर 1995 में नई निविदायें मांगनी पड़ी, और जुलाई 1996 में पहली निविदा के मुकाबले 41.85 लाख रु। अधिक लागत पर काम दिया गया। मंत्रालय द्वारा पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट के कृतकार्यवाही नोट में दिसम्बर 1995 तक कार्य पूरा करने का आश्वासन देने के बावजूद काम पूरा होने में (मार्च 1999) 39 महीनों का विलम्ब हुआ।

(ख) लोक स्वारथ्य इंजीनियरिंग निदेशालय ने बिना भूमि परीक्षण कराये नवद्वीप में सीवर लाईन डालने का कार्य 1989 में सौंपा, यद्यपि, नवद्वीप नगर की उपमिट्टी रेतीली किस्म की थी। इसने जनवरी 1994 में योजना को चालू किया। उसके शीघ्र बाद जून 1994 में, सीवर लाईनों में कमियां देखी गई। लोक स्वारथ्य इंजीनियरिंग निदेशालय को जुलाई 1994 से अक्टूबर 1996 तक 11.10 लाख रु। की लागत से क्षतिग्रस्त पाईपलाइन की तीन बार मरम्मत करनी पड़ी थी। इसको दिसम्बर 1996 में सैन्ड ब्यायलिंग जॉन में डाली गई 6.10 लाख रु। लागत की 385 मीटर पाईपलाइन को तोड़ना पड़ा था। लोक स्वारथ्य इंजीनियरिंग निदेशालय ने 17.20 लाख रु। का परिहार्य व्यय किया क्योंकि इसने काम हाथ में लेने के पहले भूमि जांच का बुनियादी कार्य नहीं किया।

(ग) कलकत्ता महानगर जल एवं मल प्रबन्ध प्राधिकरण ने जुलाई 1991 तक पूरा किये जाने के लिये 51.93 लाख रु। लागत पर हावड़ा में लिफिटंग स्टेशन के निर्माण का कार्य जुलाई 1990 में दिया और बिना मिट्टी की जांच कराये एक रूपरेखा मंजूर की, जो भूमि की रेतीली किस्म के अनुरूप नहीं थी। ठेकेदार को स्थल, सितम्बर 1992 में ही उपलब्ध कराया जा सका। अक्टूबर 1994 में भारी रिसाव देखा गया। जिसको ठीक करने में ठेकेदार विफल रहा। कलकत्ता महानगर जल एवं मल प्रबन्ध प्राधिकरण ने 25.85 लाख रु। अदा करने के बाद अक्टूबर 1995 में ठेका समाप्त कर दिया। दूसरे ठेकेदार ने शेष कार्य 85.04 लाख रु। पर मार्च 1997 में पूरा किया जिसमें से 38.50 लाख रु। कमियों को ठीक करने पर खर्च किया गया जिसके कारण 21.27 लाख रु। की लागत वृद्धि हुई। इस प्रकार, कलकत्ता महानगर जल एवं मल प्रबन्ध प्राधिकरण ने 59.77 लाख रु। का परिहार्य व्यय किया क्योंकि इसने दोषपूर्ण रूपरेखा का अनुमोदन किया था।

(घ) लोक स्वारथ्य इंजीनियरिंग निदेशालय ने 2.32 करोड़ रु। की लागत से 4 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे के उपचार के लिये बेहरमपुर में अवरोधन तथा विपथन और मल-जल उपचार संयंत्र योजनाओं को चालू किया। सीवर लाईन 1996 में विभिन्न चरणों में ढंग गयी क्योंकि जमीन रेतीली थी और मल-जल उपचार संयंत्र ने काम नहीं किया। लोक स्वारथ्य इंजीनियरिंग निदेशालय अपनी सीध पर अतिक्रमण के कारण मार्च 2000 तक क्षतिग्रस्त सीवर लाईन को ठीक नहीं कर सका। स्पष्ट रूप से, उपयुक्त भूमि जांच जैसे आवश्यक प्रारभिक कार्य करने में विफलता के कारण 2.32 करोड़ रु। का निष्फल व्यय हुआ।

(ङ) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने जून 1994 में हुगली-चिनसुरा में 4.91 करोड़ रु। की लागत की एक अवरोधन तथा विपथन योजना लागू की। जून 1997 में सीवर लाईनों की सीध में सड़क सतह का भारी झुकाव देखा गया, जो

सीध से सीवर लाईन के विस्थापन के कारण था। यह कमियां कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर लाईन डालने के पहले कन्फ्रीट सतह न बनाये जाने के कारण आई। इस प्रकार, कार्य के निष्पादन में तकनीकी कमी के कारण सीवर लाईन विफल हो गई। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने भाटपाड़ा में सीवर लाईनों के विभिन्न मिलानों के साथ 1998-99 में उसी प्रकार की रोड सवसिस्टेंस देखा था। यद्यपि, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने क्षतिग्रस्त सीवर लाईनों तथा सरफेस रोडों की मरम्मत का काम हाथ में लिया, जो मार्च 2000 तक पूरा नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश

27. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा कार्य योजना-II के अधीन 51 अवरोधन तथा विपथन योजनाएं मंजूर की। मार्च 2000 तक, उत्तर प्रदेश जल निगम केवल 30 ही पूरी कर पाया। शेष 21 में से 17 योजनाओं की निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी थी। 95.49 किलोमीटर सीवर लाईन डालने के लक्ष्य के विपरीत, मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश जल निगम ने 72.94 किलोमीटर सीवर लाईन डाली। लेखापरीक्षा में की गई नमूना जांच से कुप्रबन्धन के निम्नवत मामले देखे गए:

(क) 103 पम्पिंग सेटों की खरीद और उनके प्रतिष्ठापन के लक्ष्य के विपरीत, जून 1998 से दिसम्बर 1999 के दौरान उत्तर प्रदेश जल निगम ने 9.85 करोड़ रु. की लागत से मार्च 2000 तक 96 सेट खरीदे और 70 सेट प्रतिष्ठापित किये। उत्तर प्रदेश जल निगम ने मार्च 2000 तक मथुरा और इटावा में 26 पम्पिंग सेटों को प्रतिष्ठापित नहीं किया क्योंकि सिविल वर्क पूरे नहीं हुए थे।

(ख) 1997-98 के दौरान, उत्तर प्रदेश जल निगम ने मथुरा और वृन्दावन के लिये 0.73 करोड़ रु. की लागत से 10 डीजल सेट खरीदे। इनमें 6 सेटों के प्रतिस्थापन में 5 से 19 महीने का विलम्ब हुआ और 46 लाख रु. की लागत के 4 सेटों को मार्च 2000 तक प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि सूचना के अनुसार जनरेटिंग रूम तैयार नहीं था। प्रतिस्थापित न हुए 4 में से दो सेटों की 18 माह की वारंटी अवधि पहले ही खत्म हो गई थी।

(ग) आगरा में मेन पम्पिंग स्टेशन के पुनर्वास के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने अक्टूबर 1997 में 7.88 करोड़ रु. मंजूर किया, राइजिंग मेन एण्ड एफ्लुएंट चैनल भाग-I जिसे मार्च 1999 तक पूरा होना था। इस कार्य में पम्पों, डीजल जैनरेटिंग सेटों, बिजली सब-स्टेशन, ट्रांसमिशन लाईन आदि बिजली तथा मशीनी काम शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के कारण यह अधूरा रहा। उत्तर प्रदेश जल निगम ने मार्च 2000 तक इस पर कुल 8.63 करोड़ रु. खर्च किया था।

हरियाणा

28. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने हरियाणा के 12 नगरों में 19 अवरोधन तथा विपथन योजनाओं को मंजूरी दी। इन योजनाओं में से 10 को कार्यान्वयन एजेंसी ने पूरा नहीं किया

यद्यपि, उनको पूरा करने की निर्धारित तारीख समाप्त हो चुकी है।

29. लोक स्वास्थ्य विभाग, फरीदाबाद ने 1530 मीटर ब्रिक सरकुलर सीवर का निर्माण कार्य 64 लाख रु. की लागत से जून 1995 में आवंटित किया था जिसे अप्रैल 1996 तक पूरा होना था। इसने अगस्त 1995 में भूमि के मालिक वन विभाग का अनुमोदन मांगा था और मई 1996 तक प्राप्त किया। बाद में, 30 जून 1997 तक इस कार्य को पूरा करने के लिये उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के आधार पर, लोक स्वास्थ्य विभाग ने ब्रिक सरकुलर के स्थान पर अप्रैल 1997 तक 1.99 करोड़ रु. के खर्च से सुदृढ़ सीमेण्ट कंफ्रीट पाईप का सीवर डाला। यह खर्च ब्रिक सरकुलर सीवर के लिये लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा मूल रूप से किये गये अनुभान से बहुत अधिक था। लेखापरीक्षा को दिये गये मंत्रालय के अगस्त 1999 के उत्तर ने न्यायालय के आदेशों के आधार पर समय की कमी के कारण हरियाणा की कार्यवाही को उचित बताया था। इन तथ्यों के मद्दे नजर देखा जाना चाहिये कि न्यायालय के आदेशों के पहले परिहार्य विलम्ब हुआ जिसके कारण कार्य को परिकल्पित समय से पूरा नहीं किया जा सका।

मूल योजनाएँ : कचरा उपचार संयंत्र

पश्चिम बंगाल

30. पश्चिम बंगाल में 750.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे से निपटने के लिये, गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने 371.60 मिलियन लीटर प्रतिदिन के 15 मल-जल उपचार संयंत्र संस्थीकृत किये। कार्यान्वयन एजेन्सी ने मार्च 2000 तक 341.60 मिलियन लीटर प्रतिदिन के 14 मल-जल उपचार संयंत्र पूरे कर लिये। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत कोई भी मल-जल उपचार संयंत्र संस्थीकृत नहीं किया क्योंकि राज्य सरकार ने भूमि प्राप्तता की पुष्टि नहीं की थी। नमूना जांच में कुप्रबन्धन के निम्नलिखित उदाहरण देखें गए:

(क) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने जनवरी 1994 से जून 1994 तक पूरा करने के लिये दक्षिण पूर्वी उपनगर कलकत्ता में 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य दिया, किन्तु पश्चिम बंगाल सरकार ने भूस्वामियों के प्रतिरोध के कारण सकल अपेक्षित भूमि उपलब्ध नहीं कराई। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को तालाबों के बांध तथा उपगमन मार्गों के एकरेखण में परिवर्तन करना पड़ा, जिसमें 12.94 लाख रुपये की अतिरिक्त देयता अंतिरिक्त ही थी। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण ने अगस्त 1996 में ठेका रद्द कर दिया तथा फरवरी 1997 में 29.31 लाख रुपये के बचे हुए कार्य को बढ़ी हुई कीमत 39.99 लाख रुपये पर दिया जिस कारण देरी के अतिरिक्त 23.62 लाख रुपये का अधिक व्यय हुआ। यह कार्य, मार्च 2000 तक अधूरा रहा, योजनाओं के निष्पादन में भी असमानता थी, जैसे कि मार्च 1994 में कलकत्ता महानगर विकास निगम ने दो अवरोधन एवं विपथन योजनाएँ टालीगंज-जादवपुर क्षेत्र में 6.45 करोड़ रुपये की लागत में पूरी की और मार्च 1997 में दक्षिणी उपनगर पूर्व में 9.06 लाख रुपये की लागत में पूरी की। मल-जल उपचार संयंत्र के पूरा न होने के कारण 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाहित मल यद्यपि, विपथित होकर भी उपचार के लिये शेष रहा।

(ख) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने क्रमशः मार्च 1994 तथा दिसम्बर 1998 में 26.46 करोड़ रुपये की कुल लागत से मटकल और बंगूर मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया। इन मल-जल उपचार संयंत्र की क्षमता 85 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाहित मल संसाधन की थी। संसाधित वाहित मल वजगोला खाल में बहता है जो कि अपरिष्कृत वाहित मल जाने वाला एक धमनीय जलविकास चैनल है और कलकत्ता तथा आस-पास की नगर पालिकाओं को दूषित करता है। यह पूर्व की ओर बहता है तथा विद्याधरी नदी में मिलता है जो कि कुल्टी गंगा से होकर बंगाल की खाड़ी में बहती है। गंगा नदी मल-जल उपचार संयंत्र के पश्चिम में स्थित है। बजगोला खाल जिसमें संसाधित वाहित मल गिरता है गंगा नदी में नहीं मिलती। इस प्रकार गंगा कार्य योजना निधि से दो उपरोक्त मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण सही नहीं था क्योंकि ये गंगा के प्रदूषण का नियंत्रण नहीं करते।

(ग) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने 10 मास के विलम्ब के उपरान्त नवम्बर 1990 में बारा नगर, कमरहटी पश्चिम बंगाल में 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र निर्माण कार्य का ठेका दिया। सितम्बर 1989 में प्राप्त किये गये टैन्डरों की वैधता 4 महीने के लिये थी। ठेकेदार के बोली मूल्य प्रस्तुत करने के दूसरे वर्ष के पहले दिन से मूल्य वृद्धि देय थी। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने 38.10 लाख रुपये की वृद्धि का भुगतान किया, जिसमें से 8.47 लाख रुपये निर्माण कार्य प्रदान करने में 10 माह की देरी के कारण प्रोद्भूत हुए। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त 1999 में सूचित किया कि उसने मार्च 1990 में व्यय संस्वीकृति के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से अनुरोध किया था किन्तु संस्वीकृति अक्टूबर 1990 में ही प्राप्त हुई तत्पश्चात कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य का ठेका दिया। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने जनवरी 1990 में वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात कार्यवाही की। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने भी इस विषय को विलम्बित किया। इस प्रकार, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय दोनों ही देरी के लिये उत्तरदायी हैं।

(घ) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने जून 1990 में गार्डन रीच में मल-जल उपचार संयंत्र और मुख्य पम्पिंग स्टेशन निर्माण के लिये गंगा कार्य योजना निधि से 45 लाख रुपये के मूल्य की 112.69 एकड़ भूमि प्राप्त की। निर्माण कार्य में इसने केवल 50.997 एकड़ ही उपयोग की। 24.64 लाख रुपये मूल्य की बची हुई भूमि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के पास अनुपयुक्त पड़ी रही।

उत्तर प्रदेश

31. जून 1994 से जनवरी 1999 तक राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत 433.31 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 16 मल-जल उपचार संयंत्र संस्वीकृत किये। उन संस्वीकृतियों ने भी आकलित वाहित मल के एक बड़े भाग को अनावृत छोड़ दिया। मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश जल निगम 13 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के केवल दो मल-जल उपचार संयंत्र ही पूर्ण कर सका।

32. पिछले प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत, इलाहाबाद में 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र और कानपुर में 130 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र की असन्तोषजनक प्रगति तथा ठेकों के परिणामी समाप्ति को उजागर किया था। कृत कार्यवाही टिप्पणी में मंत्रालय ने सूचित किया कि उन्होंने राज्य सरकारों को संविदा दावों को निपटाने के विषय में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा स्थापित की गई समिति की सिफारिशों के बारे में यथोचित परामर्श दे दिया था। 2 मल-जल उपचार संयंत्र की जांच से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:

(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के परामर्शनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम ने 1.2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर इलाहाबाद मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण कार्य उसी ठेकेदार को फिर दिया। ठेकेदार ने 5 वर्षों के विलम्ब के पश्चात मार्च 1998 में कार्य पूरा किया।

(ख) उत्तर प्रदेश जल निगम ने कानपुर मल-जल उपचार संयंत्र का निर्माण क्षेत्र आयातित दोहरे ईधन उत्पादन सेट के प्रतिस्थापन का वहिष्कर 18.60 करोड़ रुपये से घटाकर 13.70 करोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश जल निगम ने 63 महीनों के विलम्ब तथा 0.72 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के पश्चात जनवरी 1999 में मल-जल उपचार संयंत्र चालू कर दिया। चालू करने से पूर्व अवधि अप्रैल 1997 से मार्च 1998 के बीच 0.89 करोड़ रुपये विद्युत प्रभार का निष्कल व्यय हुआ।

हरियाणा

33. हरियाणा में मई 1996 से नवम्बर 1997 के दौरान 323 मिलियन लीटर प्रतिदिन संसाधन के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने 306.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 12 मल-जल उपचार संयंत्र संस्थीकृति किये। मार्च 2000 तक हरियाणा की कार्यान्वयन ऐजेन्सियों ने 228 मिलियन लीटर प्रतिदिन के 8 मल-जल उपचार संयंत्र पूरे किये। नमूना जांच से निम्नलिखित केसों में लेखापरीक्षा के निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं :—

(क) 12 महीने में पूरे किये जाने के लिये मई 1996 तक ठेके पर दिये गये 10 मल-जल उपचार संयंत्र तथा एक उपचयन ताल में मार्च 2000 तक लोक स्वास्थ्य विभाग केवल 7 मल-जल उपचार संयंत्र तथा एक उपचयन ताल ही चालू कर सका। इस प्रकार 14 से 34 महीनों तक देरी हुई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने अगस्त 1999 में विलम्ब का श्रेय 1997-98 के दौरान राज्य सरकार द्वारा समकक्ष भाग निर्मुक्त न करने को दिया। यह उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि कार्यान्वयन ऐजेन्सियों के पास 1997-98 से 1999-2000 तक 20.17 करोड़ रुपये से 27 करोड़ रुपये तक की अव्ययिता निधि थी।

(ख) दिसम्बर 1999 तक फरीदाबाद (मंडल-II) के मल-जल उपचार संयंत्र ने 45 मिलियन लीटर प्रतिदिन प्रतिस्थापित क्षमता के विपरीत केवल 15 से 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन ही संरक्षित किये। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित क्षेत्रों से प्रत्याशित मात्रा में वाहित मल मल-जल उपचार संयंत्र में

पहुंच नहीं पाया क्योंकि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका फरीदाबाद ने अनुषांगिक कार्य पूरे नहीं किये थे।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने नवम्बर 1993 में गुडगाँव में मल-जल उपचार संयंत्र निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का अनुमोदन कर दिया था। राज्य ने दिसम्बर 1994 में गंगा कार्य योजना निधि से 15.6 हेक्टर भूमि का अधिग्रहण किया। जो कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय मानक से 5.2 हेक्टर अधिक था और जिसमें 69.80 लाख रुपये का अधिक व्यय था। जबसे इस अधिक भूमि का अधिग्रहण किया गया, तभी से यह उपयोग में नहीं लाई जा रही थी।

(घ) लोक स्वास्थ्य विभाग ने 6 मल-जल उपचार संयंत्र (2 यमुनानगर और 2 फरीदाबाद, तथा एक करनाल और पानीपत) का निर्माण कार्य पूरा किया। संविदा मूल्य 1.80 करोड़ रुपये की लागत की 46137 मीटर विद्युत केबल लगाए जाने के विरुद्ध केवल 13579 मीटर केबल ही लगाई गई। मार्च 2000 तक वास्तव में 1.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया जो कि यथानुपात आधार पर 1.02 करोड़ रुपये अधिक था।

(ङ) लोक स्वास्थ्य विभाग-I सोनीपत ने सितम्बर 1998 में सोनीपत में क्रमशः जून 1997 में 2.53 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन मुख्य पम्पिंग स्टेशन तथा गुडगाँव में 10.58 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मल-जल उपचार संयंत्र के यांत्रिक स्क्रीन बार में त्रुटियों का पता लगाया, जिस कारण पम्पिंग स्टेशनों में अधिकांश सामग्री और पोलीथीन चला गया था, उसने पम्प और मल-जल उपचार संयंत्र को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। कार्यान्वयन एजेन्सियों ने मार्च 2000 तक अवरोधों को न तो दुरस्त ही कराया और न उनको प्रतिरक्षापित किया जिस कारण मुख्य पम्पिंग स्टेशन तथा मल-जल उपचार संयंत्र की कार्यशीलता में क्षीणता आई।

(च) कार्यपालक अभियन्ता लोक स्वास्थ्य विभाग-I यमुनानगर ने 12 महीनों में पूरा करने के लिये मई 1996 में क्रमशः 6.50 करोड़ रुपये तक 3.08 करोड़ रुपये की लागत के 2 मल-जल उपचार संयंत्र निर्माण का ठेका दिया। कार्य की धीमी गति के लिये कार्यपालक अभियन्ता ने 65 लाख रुपये का अर्थदण्ड वसूल किया। फरवरी 1998 में अधिशासी अभियन्ता ने ठेकेदार के इस आश्वासन पर कि कार्य मार्च 1998 तक पूरा हो जायगा, 50 प्रतिशत अर्थदण्ड निर्मुक्त करने के आदेश दे दिये, किन्तु कार्य अप्रैल 2000 तक भी अधूरा रहा।

बिहार

34. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने, बिहार में 227.48 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाहित मल से निपटने के लिए गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत 135.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 7 मल-जल उपचार संयंत्र संस्थीकृत किये थे। मार्च 2000 तक, बिहार राज्य जल परिषद ने 118 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 5 मल-जल उपचार संयंत्र पूरे किये।

गंगा कार्य योजना-I के अन्तर्गत स्थापित परिसम्पत्तियों के असन्तोषजनक प्रचालन तथा रखरखाव के कारण राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा कार्य योजना-II के अन्तर्गत, कोई भी मल-जल उपचार संयंत्र संस्थीकृत नहीं किया।

लेखापरीक्षा की नमूना जांच में कुप्रबन्धन के निम्नलिखित मामले सामने आये:

(क) पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में, छपरा के 8 मिलियन लीटर प्रतिदिन के मल-जल उपचार संयंत्र को, प्रारूप तथा क्षमता में बार-बार परिवर्तनों के कारण चालू करने में विलम्ब को उजागर किया था। मार्च 1995 में गंगा परियोजना निदेशालय ने 8 मिलियन लीटर प्रतिदिन यू.ए.एस बी से 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन उपचयन ताल में परिशोधित करने के आदेश दे दिये थे क्योंकि इसने विचार किया कि बिहार राज्य जल परिषद् के व्यर्थ जल अभिलक्षण के आंकड़े मनमाने थे। वास्तव में बिहार राज्य जल परिषद् ने परिशोधित मल-जल उपचार संयंत्र 4 वर्ष के विलम्ब के पश्चात दिसम्बर 1999 में पूरा किया। इस बीच 1.21 करोड़ रुपये की लागत से फरवरी 1990 में पूरी हुई पोषक अवरोधन तथा विपथन योजना निष्क्रिय रही।

(ख) पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने पूर्वी मंडल पटना के 4 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र के पूर्व में विलम्ब के तथ्य उजागर किये थे। बिहार राज्य परिषद् ने, उपमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के भूखामियों के विवाद निपटाये बिना ही अक्टूबर 1995 में ठेका दे दिया। ठेकेदार ने 1995 में कार्य प्रारंभ किया, 95.60 लाख रुपये का व्यय करने के पश्चात भूमि स्वामियों के प्रतिरोध के कारण फरवरी 1996 में बन्द कर दिया।

(ग) पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिसम्बर 1993 तक पूरी किये जाने वाले सैयदपुर में 4 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र के संयंत्र स्थल के एक भाग का अतिक्रमण होने में कारण पूर्ण होने के विलम्ब को उजागर किया था। नवम्बर 1996 में स्थल निर्वाधन के पश्चात, 15 मास के अनुसूचित पक्वनावधि के विरुद्ध तीन वर्ष के पश्चात ठेकेदार अक्टूबर 1999 में कार्य पूरा कर सका।

(घ) पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ने मई 1993 में 2.50 करोड़ रुपये की लागत से अवरोधन तथा विपथन योजना पूरी होने के बावजूद, मुंगेर में 13.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन मल-जल उपचार संयंत्र पूर्ण न होने के तथ्यों को उजागर किया था। मंत्रालय ने कृतकार्यवाही टिप्पणी में वचनबद्धता की थी कि मल-जल उपचार संयंत्र दिसम्बर 1995 तक प्रचालन में होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा 1.70 करोड़ रुपये व्यय करने के पश्चात भी मल-जल उपचार संयंत्र अभी भी अपूर्ण है। बिहार राज्य जल परिषद् द्वारा आवश्यक निधि निर्मुक्त न करने की स्थिति में, मई 1997 में ठेकेदार ने कार्य का परित्याग कर दिया।

(ङ) नवम्बर 1993 में दक्षिणी मंडल मल-जल उपचार संयंत्र पटना में प्रतिस्थापित 200 के वी.ए के 2 ट्रांसफॉर्मरों में से बिहार राज्य जल परिषद् ने 1 ट्रांसफॉर्मर मार्च 1994 में अंजुमन इस्लामिया हाल को सामान्य जल पूर्ति हेतु स्थानान्तरित कर दिया, जो गंगा कार्य योजना से सम्बन्धित नहीं है।

दिल्ली

35. दिल्ली में 2270 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाहित मल में से, मार्च 2000 तक दिल्ली जल बोर्ड केवल 1574 मिलियन लीटर प्रतिदिन की संसाधित क्षमता ही प्राप्त कर सका। दिल्ली में गंगा कार्य योजना केवल 20 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाहित मल का संसाधन कर सकी, जिसके लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने मई 1995 में 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के 2 मल—जल उपचार संयंत्र प्रत्येक डॉ. सेन नर्सिंग होम तथा दिल्ली गेट नाले पर संस्थीकृत किये। दिल्ली जल बोर्ड ने मई 1995 में स्वयं वार्तातय संविदा मूल्य क्रमशः 5.39 करोड़ एवं 6.31 करोड़ रुपये लागत के निर्माण कार्य दिये। दोनों मल—जल उपचार संयंत्र पूर्ण करने की अनुबंधित तिथि दिसम्बर 1996 थी। दिल्ली जल बोर्ड क्रमशः 25 और 35 महीनों की देरी के पश्चात जनवरी 1999 तथा नवम्बर 1999 में मल—जल उपचार संयंत्र प्रचालित कर सका।

गैर-मूल योजनाएँ

कम खर्च की सफाई

बिहार

36. गंगा कार्य योजना-II के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा स्वीकृत 8 योजनाओं में से, मार्च 2000 तक बिहार राज्य जल परिषद कोई भी योजना पूर्ण नहीं कर सका। गंगा कार्य योजना-I के तहत पूरी हुई सात कम खर्च की सफाई योजनाओं पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं :—

- (क) गंगा कार्य योजना के इस मार्गदर्शन कि नाले का मल नदी में न जाये के विपरीत, बिहार के 9¹ शहरों में सरकारी/अर्ध सरकारी/निजी संस्थानों में बिहार राज्य जल परिषद ने रु. 1.09 करोड़ की लागत से 40 सामुदायिक शौचालय बनाये।
- (ख) बिहार राज्य जल परिषद ने बिहार के 7² शहरों में 57.37 लाख रु. की लागत से 20 सामुदायिक शौचालय बनवाये। यह बन्द पड़े रहने के कारण, अथवा नाजायज कब्जों के कारण इस्तेमाल न हो सके या मेले के समय कुछ दिन के लिये इस्तेमाल हुए बाकी दिन बन्द रहने के कारण इस्तेमाल न हो सके। राज्य सरकार या नगर निगम इकाईयों द्वारा इनके नियमित प्रयोग के लिए कारगर कदम नहीं उठाये गए।
- (ग) बिहार सरकार तथा रखखाव एजेंसी मैसर्स “सुलभ इटरेशनल” 4 शहरों के 10 सामुदायिक शौचालयों के उपयुक्त रखखाव में असफल रहा। ये शौचालय, दरवाजे, भवन, मल निकाय, मूत्रत्याग, हैंड पम्प, बिजली फिटिंग तथा सेप्टिक टैंक आदि की मरम्मत न हो पाने के कारण, क्षतिग्रस्त हो गये। इन शौचालयों पर खर्च

¹छपरा, पटना, हाजीपुर, सोनपुर, मौकामा बरौनी, बक्सर, मुग्रे, भागलपुर तथा सुल्तानगंज

²छपरा, बक्सर, सोनपुर, हाजीपुर, मौकामा, सुल्तानगंज, भागलपुर

हुई गंगा कार्य योजना के 35.82 लाख रु. की निधि, का वांछित लाभ नहीं हुआ।

नदी अग्र विकास

हरियाणा

37. सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा, यमुना कार्य योजना, जन कार्य विभाग ने जुलाई 1995 के दौरान यमुनानगर में 72.64 लाख रु. की लागत से 2 स्नान घाट बनाये। चयन किये गये रथान तथा रूपरेखा उपयुक्त न होने के कारण ये घाट सार्वजनिक प्रयोग में नहीं लाये जा सके जिसकी वजह से खर्च हुई 72.64 लाख रु. की राशि निष्क्रिय हो गई।

विद्युत शवदाह गृह

पश्चिम बंगाल

38. नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग ने पश्चिम बंगाल में विद्युत शवदाह गृहों का निर्माण करते समय मृत्यु जन्म दर के सामान्य मापदण्ड को समान रूप से ध्यान में नहीं लिया। इसने भाटपाड़ा, नबद्वीप, हुगली-चिनसुराह तथा बैरकपुर शहरों में, जिनकी आबादी क्रमशः 2.65, 1.30, 1.29 तथा 1.16 लाख है, में एक-एक शवदाह गृह बनवाये तथा 1.02 लाख आबादी वाले बेहरमपुर में शहर में 2 शवदाह गृह बनवाये।

39. बर्हमपुर नगर निगम प्राधिकरण ने मई 1989 के दौरान 20.89 लाख रु. की लागत से खगरा तथा गोराबाजार में 2 शवदाह गृह बनाये जाने के लिये बिजली तथा तकनीकी कार्य तथा जुलाई 1989 के दौरान 25.31 लाख रु. का नागरिक कार्य दिया गया। इस योजना को पूरा करने का समय मार्च 1990 था। बर्हमपुर नगर निगम प्राधिकरण ने गंगा कार्य योजना निधि को कर्मचारियों के वेतन पर खर्च कर दिया तथा ठेकेदार को सीमेंट तथा लोहा नागरिक कार्य के लिये उपलब्ध नहीं कराया। राज्य सरकार ने यह कार्य नवम्बर 1990 में बर्हमपुर नगर निगम प्राधिकरण से वापस ले लिया तथा नवम्बर 1992 में नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग को दे दिया। नगर निगम इंजीनियरिंग विभाग ने नये ठेकों के माध्यम से नागरिक, बिजली तथा तकनीकी कार्यों पर 9.36 लाख रु. का अतिरिक्त व्यय करके यह योजना मार्च 1997 में पूरी कर दी।

दिल्ली

40. दिल्ली नगर निगम ने जनवरी 1995 में 99.60 लाख रु. की लागत से सराय काले खाँ में विद्युत शवदाह गृह निर्माण का कार्य दिया जो कि मई 1996 तक पूरा होना था। दिल्ली नगर निगम द्वारा ठेकेदार को विलम्ब से भुगतान की वजह से यह कार्य मार्च 2000 तक अधूरा पड़ा रहा। विद्युत शवदाह गृह के लिये एक उप-केन्द्र के निर्माण हेतु जनवरी 1997 में दिल्ली विद्युत बोर्ड ने दिल्ली नगर निगम से कनैक्शन खर्च के लिये 43.62 लाख रु. की मांग की। दिल्ली नगर निगम ने 18 माह के विलम्ब के बाद अक्टूबर 1998 में यह रकम जमा कर दी। दिल्ली विद्युत बोर्ड ने उपकेन्द्र का निर्माण कार्य नवम्बर 1999 तक आरम्भ नहीं किया। अगर विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य पूरा भी हो जाता तो भी विद्युत पूर्ति न होने की वजह से दिल्ली नगर निगम इसे प्रयोग में नहीं ला सकती थी।

परिसम्पत्तियों का प्रचालन तथा रखखाव

41. गंगा कार्य योजना योजना के तहत उत्पन्न हुई परिसम्पत्ति के सर्वोत्तम इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने कोई रुचि नहीं दिखाई। राज्य एजेंसियों ने भी संचालन तथा रखखाव की अवहेलना की। मार्च 2000 तक चालू किए गये 45 मल-जल उपचार संयंत्र में से, 19 मल-जल उपचार संयंत्र अनियमित पावर आपूर्ति, खराबी का पता ना लगाये जाने तथा राज्य सरकारों द्वारा निधि जारी न किये जाने की वजह से, अपनी पूरी क्षमता तक प्रयुक्त नहीं हुए। 6 मल-जल उपचार संयंत्र की प्रवाह धारा वांछित स्तर तक उपलब्ध नहीं हो सकी। शवदाह गृहों को रखखाव उचित स्तर से नहीं हुआ। गंगा कार्य योजना-I के तहत निर्माण किये गये 28 विद्युत शवदाह गृहों में से 8 शवदाह गृह या तो बन्द कर दिये गये या खराब पड़े रहे। परिसम्पत्ति के संचालन तथा रखखाव के बारे में लेखापरीक्षा की टिप्पणी इस प्रकार है:

(क) बिहार राज्य जल परिषद द्वारा पश्चिमी खण्ड पटना में जून 1994 के दौरान 4.04 करोड़ रु. की लागत से 25 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का मल-जल उपचार संयंत्र प्रचालित किया गया। इसने वर्ष 1998-99 के दौरान, केवल 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे का उपचार किया परन्तु अनियमित पावर आपूर्ति होने से पर्याप्त स्टेशनों के कार्य न करने तथा धन अभाव की वजह से अप्रैल 1999 के बाद यह क्षमता घटकर 0.81 मिलियन लीटर प्रतिदिन रह गई। इस प्रकार संयंत्र के घटिया रखखाव की वजह से पूरा कचरा उपचार बिना ही नदी में प्रवाहित कर दिया गया।

(ख) बिहार राज्य जल परिषद ने सितम्बर 1992 तक 2.09 करोड़ रु. बीच-बीच में कार्य अवरोधन तथा अन्य विपथन की वजह से तथा जून 1994 तक 1.79 करोड़ रु. के भागलपुर के 11 मिलियन लीटर प्रतिदिन से जूझने पर खर्च कर दिये। योजना को जून 1994 में चालू किया गया।

कचरे का संयंत्र तक का वास्तविक औसतन बहाव केवल 3 मिलियन लीटर प्रतिदिन था क्योंकि अगस्त 2000 तक माहाराज घाट तथा कोएलाघाट के पर्याप्त स्टेशन को, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा, हाई टेंशन विद्युत कनैक्शन नहीं दिये गये थे। भागलपुर स्थित मल-जल उपचार संयंत्र के 7 निकास मार्ग में से 5 जलद्वार ढूट गये थे। मनिक सरकार का पर्याप्त केन्द्र भी खराब था। बिहार राज्य जल परिषद ने पर्याप्त केन्द्र तथा जलद्वार की मरम्मत के लिये कोई कदम नहीं उठाये। इसने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ यह मामला 5 वर्ष बाद, यानी फरवरी 1997 में उठाया। विद्युत कनैक्शन काट दिये जाने के कारण मल-जल उपचार संयंत्र मार्च 2000 तक काम नहीं कर रहा था। बिहार राज्य जल परिषद की लापरवाही से अवरोधन तथा विपथन योजना का 3.88 करोड़ रुपये का मल-जल उपचार संयंत्र का उपयोग नहीं हुआ।

(ग) बिहार राज्य जल परिषद ने सितम्बर 1995 में 43.54 लाख रु. की लागत से 2 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे के उपचार हेतु बक्सर में मल-जल उपचार संयंत्र स्थापित किया परन्तु अवगाहन पम्प तथा उनकी मोटर खराब हो जाने के कारण इसे सितम्बर 1996 में ही बन्द कर दिया गया। बिहार राज्य जल परिषद ने संचालन तथ रखरखाव के लिये कोई निधि जारी नहीं की। बिहार राज्य जल परिषद की लापरवाही से सितम्बर 1996 के बाद सारा कचरा गंगा में प्रवाहित कर दिया गया।

(घ) बिहार राज्य जल परिषद ने दिसम्बर 1993 में 3.61 करोड़ रु. की लागत से पटना में 35 मिलियन लीटर प्रतिदिन प्रतिदिन क्षमता का एक मल-जल उपचार संयंत्र स्थापित किया। पम्पिंग स्टेशनों को पूरी बिजली उपलब्ध न होने की वजह से मल-जल उपचार संयंत्र ने केवल 10.32 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे का वर्ष 1999-2000 के दौरान उपचार किया। बिहार राज्य जल परिषद ने निधि के अभाव की वजह से पम्पिंग स्टेशन की मरम्मत नहीं कराई। जिसका नतीजा यह हुआ कि कचरे का बड़ा भाग गंगा में सीधे ही प्रवाहित होता रहा।

(ङ) गंगा कार्य योजना-I के तहत, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 1991 से दिसम्बर 1997 के बीच पश्चिम बंगाल में 69.36 करोड़ रु. की लागत से 341.60 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 14 मल-जल उपचार संयंत्र चालू हुये। मल-जल उपचार संयंत्र ने केवल 181.98 मिलियन लीटर प्रतिदिन कचरे का उपचार किया क्योंकि नगर निगम प्राधिकरण ने रुके निकास को डारेक्ट हाउस कनैक्शन नहीं जारी किये तथा पहले से उपलब्ध कचरा निकास सुविधा पर्याप्त नहीं थी।

(च) राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय मानकों के लिये आवश्यक है कि मल-जल उपचार संयंत्र के उपचारित प्रवाह में 30 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम का जैव-रसायन आक्सीजन माँग और पानी में निकासी के लिये 50 मिलिग्राम प्रति लीटर से कम स्थगित ठोस होना चाहिये। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने 16 मल-जल उपचार संयंत्र के प्रबोधक अध्ययन का कार्य बाहरी एजेन्सीयों/प्रयोगशालाओं को सौंपा। उन अध्ययनों ने पाया कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, दीनापुर तथा स्वर्ग आश्रम हरियाणा के गुडगांव फरीदाबाद खण्ड-I तथा II के 6 मल-जल उपचार संयंत्र निर्धारित स्तर हासिल नहीं कर पाये।

(छ) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा, संचालन तथा रखरखाव के कर्मचारियों के लिये वारानगर कमरहटी, गार्डनरीच तथा चंदानगर के मल-जल उपचार संयंत्र प्रांगण में मार्च 1987 से सितम्बर 1994 के बीच 31 क्वाटरों का निर्माण कराया गया जो कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा मल-जल उपचार संयंत्र के रखरखाव का कार्य प्राइवेट एजेंसियों को दिये जाने के कारण खाली पड़े रहे।

(ज) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने गार्डन रीच मल-जल उपचार संयंत्र में दिसम्बर 1995 में एक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। प्रयोगशाला की लागत, जाँच संयंत्र सहित 11.16 लाख रु. थी। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने मल-जल उपचार संयंत्र की जाँच का कार्य एक बाहरी एजेन्सी को सौंप दिया जिसकी वजह से प्रयोगशाला पर हुआ खर्च निष्फल हो गया।

(झ) बिहार के मोकामा तथा बरौनी में, नवम्बर 1992 में रु. 62.54 लाख की लागत से बने दो विद्युत शवदाह गृह, राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल के भुगतान न किये जाने के कारण जनवरी 1994 तथा जुलाई 1997 से बिना चले पड़े रहे।

(झ) वर्ष 1991-92 के दौरान रु. 37.25 की लागत से बने भागलपुर शवदाह गृह, भागलपुर नगर निगम द्वारा बिजली बिल का भुगतान न किये जाने की वजह से अक्टूबर 1993 के बाद बिना चले पड़े रहे।

(ट) वर्ष 1992-93 के दौरान रु. 42.10 की लागत से बने मुंगेर शवदाह गृह अप्रैल 1999 में आई बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह अभी मरम्मत हेतु बन्द पड़ा है।

(ठ) मार्च 1990 के दौरान रु. 38.27 की लागत से पहलेजाघाट में बने विद्युत शवदाह गृह ने अनियमित बिजली पूर्ति की वजह से काम ही नहीं किया। हालाँकि सम्बन्धित एजेन्सी ने जनवरी 1996 में रु. 5.70 लाख कीमत के कुछ पुर्जे पटना के बाँसघाट विद्युत शवदाह गृह को स्थानान्तरित कर दिए थे।

(ड) जनवरी 1993 तथा मार्च 1992 दौरान रु. 97.25 लाख की लागत से इलाहाबाद तथा हरिद्वार में बने शवदाह गृह, निजी नगर निगमों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान न किये जाने की वजह से अक्टूबर 1999 तथा जुलाई 1999 से बिना चले पड़े हैं। मई 1991 के दौरान, 77.22 लाख रु. की लागत से कानपुर में बने शवदाह गृह, बिजली पूर्ति न होने तथा तकनीकी खराबी की वजह से मार्च 1997 से बन्द पड़े हैं।

जनसमुदाय का सम्मिलित होना

42. पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जनसामान्य में जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी की कमी तथा तदनुरूपी बजट प्रावधान के कम उपयोग की ओर संकेत किया गया था। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि ज्यादा से ज्यादा जनसमुदाय के भाग लेने, विशेषतया गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोगों, स्थानीय निकायों, सामाजिक संस्थानों और गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रचार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय और राज्य सरकारों ने इस पर केवल नेमी रूप से ध्यान दिया जो भाग लेने वाले राज्यों द्वारा वर्ष 1995 से 2000 तक कुल व्यय 38.60 लाख रु. जो कि जन सामान्य की भागीदारी बढ़ाने पर व्यय किया से पता चलता है।

गंगा कार्य योजना के तहत जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग

43. वर्ष 1986 में संचालन समिति ने जल की गुणवत्ता को नहाने के स्तर पर लाने के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए :

घुलनशील ऑक्सीजन	5 मिलीग्राम प्रतिलीटर से कम नहीं
जीव-रसायन ऑक्सीजन मांग	3 मिलीग्राम प्रतिलीटर से अधिक नहीं
बैक्टीरिया भार (कोलिफोर्म गणना)	10000 प्रति 100 मि. ली. से अधिक नहीं

44. गंगा कार्य योजना का एक प्रमुख कार्य जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के आदेश पर वर्ष 1994 तक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केन्द्रीय जल आयोग जल के नमूने की गुणवत्ता की जांच के लिए 27 केन्द्रों की पहचान की। वर्ष 1996 में जल की गुणवत्ता और मॉनीटरिंग नमूने के लिए गंगा की सहयोगी नदियों के 33 केन्द्र और सम्मिलित किए गए तथा राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने यह कार्य अन्य शोध संस्थानों को स्थानान्तरित कर दिया। वर्ष 1999 से निधि प्रतिबंध के कारण, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने गंगा नदी के जल की गुणवत्ता और मॉनीटरिंग का कार्य बन्द कर दिया।

45. परिशिष्ट-VI 1995-2000 की अवधि के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा यथा प्रस्तुत 60 केन्द्रों का जैव-रसायन ऑक्सीजन माँग, आक्सीजन घोल और कोलीफोर्म स्तर दर्शाता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि 1993-1999 की अवधि के दौरान गंगा के जल की गुणवत्ता बद से बदतर हो गई। वर्ष 1993 में केवल एक नमूना केन्द्र अर्थात कानपुर अनुप्रवाह के मुकाबले 1999 के दौरान, 27 में से कन्नौज उपरिनद, कन्नौज अनुप्रवाह में, कन्नौज में रामगंगा पर, कन्नौज में कालिन्दी पर, कानपुर उपरिनद, कानपुर अनुप्रवाह, वाराणसी अनुप्रवाह, पाल्टा, दक्षिणेश्वर और उलुबेरिया, आदि 10 नमूना केन्द्रों पर जैव रसायन ऑक्सीजन माँग मान्य सीमा से बढ़ गया। 1996-1999 के दौरान यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में भी कोई सुधार नहीं हुआ। वर्ष 1996 के दौरान, 25 में से 13 नमूना केन्द्रों के विपरीत, 1999 में 14 नमूना केन्द्रों पर जैव-रसायन ऑक्सीजन माँग मान्य सीमा से बढ़ गया। वर्ष 1999 के दौरान 60 में से 17 नमूना केन्द्रों के कोलीफोर्म स्तर में बढ़ोत्तरी हुई।

46. उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 31 अगस्त 1999 से 4 सितम्बर 1999 के दौरान केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा और दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण निकायों ने मिलकर पल्ला, आगरा नहर और यमुना के मदनपुर खादर के जल नमूनों की जांच की और पाया कि दिल्ली में प्रवेश से पहले पल्ला में जल की गुणवत्ता वन्य मत्स्य के लिए उपयुक्त है। लेकिन दिल्ली से निकलकर मदनपुर खादर में दिल्ली के 19 नालों का विषेला रसायनिक जल मिलने के कारण इसकी स्थिति बदतर हो जाती है। जल की गुणवत्ता केवल औद्योगिक प्रशीतन और सिंचाई इत्यादि के लिए ही उपयुक्त पाई गई थी।

जीवाणुभार पर नियंत्रण

47. पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से पता चलता है कि गंगा कार्य योजनाएं जीवाणु भार को कम करने में कोई नियंत्रण नहीं कर पाई। समस्त 27 नमूना केन्द्रों में यह मान्य सीमा से अधिक था। एक मितव्ययी प्रौद्योगिकी सक्षम प्रौद्योगिकी की खोज में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने वर्ष दिसम्बर 1993 से दिसम्बर 1995 के दौरान परा-बैंगनी विकिरण, गामा विकिरण, क्लोरिनेशन और जैवीय साधनों का प्रयोग करते हुए क्रमशः हरिद्वार, बड़ौदा, लखनऊ और दिल्ली के अनुसंधान संस्थानों में 4 अनुसंधान परियोजनाएं संस्थीकृत की। समस्त परियोजनाएं वर्ष 1998-99 तक पूर्ण हुई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने पाया कि विकसित प्रौद्योगिकी या तो अति लागत तथा आर्थिक रूप से अक्षम होने के कारण बेकार थी या फिर उसे स्थायीकारक तालाब के निर्माण के लिए एक बड़े भूखण्ड की आवश्यकता थी जो कि बड़े शहरों में उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने मानकों और प्रौद्योगिकी विकल्पों की समीक्षा की और सितम्बर 1999 में सुझाव दिया कि बेकार स्थायीकारक तालाब तकनीक ही एकमात्र सक्षम तकनीक है जिसके द्वारा उपचारित जल सूक्ष्म जैवीय प्रदूषण स्तर को स्नान के लिए सुरक्षित हो पाएगा। कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि सभी रुद्धिगत प्रौद्योगिकियों को परिवर्त तालाब द्वारा पूरक करके ही जीवाणु भार पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तथापि, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने परिवर्त तालाबों को सम्मिलित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जिसके कारण जीवाणु भार को घटाकर अपेक्षित स्तर पर रखने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ।

औद्योगिक प्रदूषण

48. केवल नदियों का प्रदूषण स्तर मान्य सीमा के भीतर लाने के लिए गंगा कार्य योजना ने घरेलू कचरे में सुधार करने की परिकल्पना की। गंगा कार्य योजना के अनुसार समूचे गन्दे जल का शोधन भी जल की गुणवत्ता को नहाने के लिए उपयुक्त नहीं मानता जब तक कि औद्योगिक विषेले तत्वों को नदियों में मिलने पर जांच/रोक नहीं लगाई जाती। हालांकि, केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने अक्टूबर 1985 में हुई अपनी पहली बैठक में माना कि बेकार औद्योगिक जल का शोधन कार्य योजना में सम्मिलित नहीं था लेकिन विशेष स्थानों पर औद्योगिक प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक कदम उठाने जरूरी हैं। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषित औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों की अवहेलना करने का जिम्मेदार ठहराया। गंगा परियोजना निदेशालय को अधिक प्रदूषित इकाइयों द्वारा मल-जल उपचार संयंत्र लगावाकर उनकी प्रगति का अनुवीक्षण करना था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के निदेशों के अनुसार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिक प्रदूषित इकाइयों द्वारा मल-जल उपचार संयंत्र के प्रतिष्ठापन की रिपोर्ट राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को प्रस्तुत की। इसके आधार पर, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण ने जुलाई 1997 में निर्देश जारी किए कि सभी अधिक प्रदूषित उद्योग जो अपना बहिष्प्रवाह नदियों में करते हैं 3 माह

के अन्दर उपयुक्त मल-जल उपचार संयंत्र प्रतिष्ठापित करवा लें अन्यथा उनको बन्द करने के नोटिस जारी किए जाएंगे।

49. निम्नलिखित सारणी राज्यों में मल-जल उपचार संयंत्र के प्रतिष्ठापन की स्थिति दर्शाती है:

राज्य	इकाइयों की संख्या				
	अधिक प्रदूषित इकाईया	प्रतिष्ठापित इ. टी. पी.	बन्द किए गए	निर्माणधीन इ. टी. पी.	ठीक से नहीं रहे इ. टी. पी.
हरियाणा	56	47	9	-	18
पश्चिम बंगाल	96	77	16	3	33
उत्तर प्रदेश	117	96	21	-	8
दिल्ली	428	80	-	-	-
बिहार	35	35	-	-	3
कुल जोड़	732	335	46	3	62

स्रोत: भाग लेने वाले राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की रिपोर्ट

50. केवल 45 प्रतिशत घोर प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाइयों ने मल-जल उपचार संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जिनमें से 18 प्रतिशत से अधिक ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे और केन्द्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित बहिष्प्रवाह निर्वहन मानकों के अनुसार नहीं थे। इन इकाइयों द्वारा 2667.16 मिलियन लीटर प्रतिदिन औद्योगिक बहिष्प्रवाह नदियों में निर्वहन किया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय यह देखने में असक्षम था कि प्रतिष्ठापित मल-जल उपचार संयंत्र संतोष जनक रूप से काम कर रहे हैं या नहीं और संसाधित बहिष्प्रवाह निर्धारित मानकों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। भाग लेने वाले राज्यों की लेखापरीक्षा के उद्धरण निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शाए गए हैं:

(क) बिहार के 35 घोर प्रदूषित उद्योगों में से, 3 उद्योग अर्थात् बोकारो थर्मल पावर स्टेशन 'क' और 'ख' में मल-जल उपचार संयंत्र प्रतिष्ठापित किए गए तथा चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशनों ने 637.95 मिलियन लीटर प्रतिदिन बहिष्प्रवाह सीधे दामोदर नदी में प्रवाहित किए।

(ख) हरियाणा के फरीदाबाद, गुडगाँव, पानीपत, सोनीपत व यमुनानगर 5 शहरों की 18 औद्योगिक इकाइयों के मल-जल उपचार संयंत्र द्वारा 12.615 मिलियन लीटर प्रतिदिन का बहिष्प्रवाह यमुना नदी में प्रवाहित किया।

(ग) पश्चिम बंगाल में 77 में से 33 घोर प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाईयों ने मल-जल उपचार संयंत्र द्वारा 2007 मिलियन लीटर प्रतिदिन बहिष्प्रवाह प्रवाहित किए।

(घ) उत्तर प्रदेश में 96 में से 18 घोर प्रदूषण वाली औद्योगिक इकाइयों के मल—जल उपचार संयंत्र कार्यरत नहीं हैं। उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन उद्योगों द्वारा मुक्त प्रदूषण भार के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए। 9 घोर प्रदूषण वाले उद्योगों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि इन औद्योगिक इकाइयों द्वारा 9.593 मिलियन लीटर प्रतिदिन प्रदूषण भार नदी में प्रवाहित किया गया।

51. भारतीय उच्चतम न्यायालय ने, एक जनहित याचिका में अप्रैल 1995 में निर्देश दिया कि कलकत्ता शहर के 3 समूहों (क्लस्टर) में स्थित 538 चर्मउद्योगों को जो कि करीब 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन बहिष्प्रवाह का उत्पादन करते हैं उनको शहर के बाहर एक चर्म परिसर में स्थापित करके उनसे निकलने वाले बहिष्प्रवाहों को संसाधित करने के लिए एक सामान्य मल—जल उपचार संयंत्र उपलब्ध करवाया जाए। आर्थिक मामलों की कैविनेट समिति ने अगस्त 1995 में कलकत्ता में एक सामान्य मल—जल उपचार संयंत्र के निर्माण का अनुमोदन किया जो नवम्बर 1997 में बनकर तैयार होना था। 65 करोड़ रु. की लागत से बने सामान्य मल—जल उपचार संयंत्र का खर्च केन्द्र और राज्य सरकार ने बराबर—बराबर उठाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक सामान्य मल—जल उपचार संयंत्र पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय सन्तुष्ट हो सके।

वित्तीय प्रबंधन

52. लेखापरीक्षा अवधि अर्थात् वर्ष 1993 से 2000 के दौरान केन्द्र और भाग लेने वाले राज्य सरकारों द्वारा कुल 655.23 करोड़ रु. कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्मुक्त किया गया। मार्च 2000 तक राज्यों ने सूचित किया कि 587.63 करोड़ रु. का उपयोग हुआ जिसमें से 118.60 करोड़ रु. गंगा कार्य योजना-I पर और 469.03 करोड़ रु. गंगा कार्य योजना-II पर हुआ है। तथापि, निधि की उपयोगिता को निम्नलिखित पैराग्राफों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो कि केवल नमूना परीक्षण के मामलों में ही, वित्तीय कुप्रबंधन, विशेषकर अनधिकृत गतिविधियों में (37.61 करोड़ रु.), निधि का विपथन, गलत सूचना (36.07 करोड़ रु.), बिहार राज्य जल परिषद द्वारा अपने निजी खाते में निधि को जमा रखना (1.17 करोड़ रु.), और कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास अप्रयुक्त निधि (72.62 करोड़ रु.) का रखा जाना।

(क) विपथन/निधि का दुरुपयोग: उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में कार्यान्वयन एजेन्सियों ने 36.07 करोड़ रु. का विपथन, स्थापना, संयंत्रों के प्रचालन तथा रखरखाव, सर्किल कार्यालय के निर्माण, वाहन, कम्प्यूटर, फोटोस्टेट मशीन की खरीद, कस्टम शुल्क, कम लागत सफाई के पर्यवेक्षण प्रभार आदि पर किया जो कि मल—जल उपचार संयंत्र कार्यक्रम और निर्माण आदि के अन्तर्गत नहीं आते, गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करते (परिशिष्ट-VII)।

(ख) व्यय को बढ़ाकर बताना: हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कार्यान्वयन एजेन्सियों ने कार्यों पर अधिक प्रतिशत क्रमशः 4.12 करोड़ रु. और 2.63 करोड़ रु. का खर्च किया जिसके परिणामस्वरूप गंगा कार्य योजना पर 6.75 करोड़ रु.

का अत्यधिक व्यय बताया गया।

(ग) निधि को जमा रखना: वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान बिहार राज्य जल परिषद के प्रबन्ध निदेशक ने गंगा कार्य योजना निधि का कुल 1.17 करोड़ रु. अपने सामान्य चालू खाते में जमा रखा जिसके फलस्वरूप बिहार राज्य जल परिषद की वेज एंड मीन्स स्थिति अच्छी हुई, और गंगा कार्य योजनाओं के लिए आवश्यक निधि का अहित हुआ।

(घ) ब्याज की हानि: बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा अप्रयुक्त बकाया को ब्याज वाले खातों में जमा नहीं कराने के कारण 2.55 करोड़ रु. की हानि हुई (परिशिष्ट-VIII)।

(ङ) पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अंकित किए जाने के बावजूद बिहार और पश्चिम बंगाल की कार्यान्वयन एजेन्सियों ने गंगा कार्य योजना निधि से कमाए गए 25 लाख रु. व 66.40 लाख रु. ब्याज की सूचना राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को नहीं दी।

(च) अप्रयुक्त शेष: मार्च 2000 तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली व बिहार की कार्यान्वयन एजेन्सियों के पास क्रमशः 67.90 करोड़ रु., 0.41 करोड़ रु. और 4.31 करोड़ रु अप्रयुक्त शेष रहे।

मॉनीटरिंग तत्व

53. केन्द्रीय स्तर पर गंगा कार्य योजना की मॉनीटरिंग सराहनीय नहीं थी। समीक्षा के दौरान देखा गया कि एक शीर्ष संस्था केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण जिसका गठन 1985 में हुआ था व जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री थे उसकी केवल 1994 और 1997 में दो बैठक हुई। गंगा कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय से कार्यक्षेत्र दौरे, कार्यान्वयन एजेन्सियों के साथ समीक्षा बैठक, और राज्य व कार्यान्वयन एजेन्सियों से प्रत्यक्ष और वित्तीय रिपोर्टों की अपेक्षा करता था। समीक्षा के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के कुछ आंकड़े राज्यों व कार्यान्वयन एजेन्सियों से वित्तीय उपलब्धियों पर प्राप्त रिपोर्ट से एकत्र और संकलित किए लेकिन रिपोर्ट में व्यक्त कमियों और अनियमिताओं को दूर करने के ऊपर बहुत कम लिखित प्रमाण थे। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय समीक्षा बैठकों में अभिलेखबद्ध कार्यवृत्त लेखापरीक्षा को दिखाने में असक्षम रहा।

54. राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा मार्च 1995 में जारी निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर प्रत्येक शहर के लिए नागरिक मॉनीटरिंग समिति का गठन करना था जिसका काम कार्य निष्पादन की प्रगति को देखना व योजनाओं का समय पर पूरा होना उसके प्रचालन तथा रखरखाव, और जनसमुदाय को इसमें भाग लेने को

जागरूक करना तथा सुविधा प्रदान करना था। नागरिक निरीक्षण समिति की बैठक माह में एक बार होनी थी। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि हरियाणा, बिहार और दिल्ली सरकारों ने तो किसी भी शहर में नागरिक निरीक्षण समिति का गठन नहीं किया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल 42 में से 5 शहरों में नागरिक निरीक्षण समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गठित नागरिक निरीक्षण समिति की बैठक विरलता से ही होती थी। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में नागरिक निरीक्षण समिति की बैठक केवल एकबार हुई, 2 शहरों में केवल दो बार और अन्य 2 शहरों में नागरिक निरीक्षण समिति की बैठक गठन के उपरान्त केवल तीन बार हुई।

55. मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल सरकार ने मई 1998 में एक उच्च शक्ति कमेटी का गठन किया और बिहार सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विषय निर्वाचन समिति का गठन किया जिसका काम कार्यक्रम के परिपालन का अनुवीक्षण करना था। पश्चिम बंगाल की उच्च शक्ति कमेटी की बैठक केवल दो बार जनवरी 1999 और जनवरी 2000 में हुई।

बिहार में वर्ष 1994–2000 के दौरान विषय संचालन समिति की केवल एक बैठक हुई।

निष्कर्ष और संस्कुति

56. गंगा कार्य योजना जिसका सूत्रपात 1985 में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता को नहाने के स्तर तक लाने के उद्देश्य से किया गया था, 15 वर्षों की अवधि में कुल 901.71 करोड़ रुपये व्यय करने के बावजूद भी अपने उद्देश्य को हासिल करने में विफल रही।

57. संसाधनों के आवंटन में कमियां थीं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के तट से प्रदूषण समाप्त करने के लिए चुने गए 110 शहर जिनसे कुल 5044 मिलियन लीटर प्रतिदिन स्थानीय वाहित मल में से गंगा कार्य योजना ने अपने द्वारा 2794 मिलियन लीटर प्रतिदिन संसाधित किया। भाग लेने वाले राज्यों द्वारा 1095.69 मिलियन लीटर प्रतिदिन उपलब्धि की सूचना दी गई जो कि घटे लक्ष्य का 39 प्रतिशत था। इस योजना की तकनीकी रूप रेखा में त्रुटि के कारण सृजित परिसम्पत्तियाँ अनुपयुक्त रही, योजनाओं के संघटकों में मिलान न होना, भूखण्ड के कब्जे में परेशानियाँ, करार में कुप्रबन्धन, उपयुक्त रखरखाव में कमी, कुल मिलाकर यह राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के विवादग्रस्त रवैये के कारण था। राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय द्वारा नदियों में जीवाणु भार को अपेक्षित स्तर पर लाने के लिए प्रयुक्त मल-जल उपचार संयंत्र के निर्माण की तकनीक विवादास्प्रद थी। निधि न मिलने के कारण राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय ने जल की गुणवत्ता के अनुवीक्षण की अपनी मुख्य गतिविधि त्याग दी और अपने को गंगा कार्य योजना के मुख्य कार्य समस्त निष्पादन के अनुवीक्षण से वंचित कर दिया। सही

निष्कासन एवं तालमेल और मॉनीटरिंग कार्य के बारे में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय राज्यों एवं कार्यरत संस्थाओं के लेखापरीक्षा की कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गंगा कार्य योजना की सम्पूर्ण कार्यवाही के बारे में गंभीर समीक्षा की आवश्यकता थी जोकि राज्यों एवं कार्यरत संस्थाओं के वित्तीय प्रबन्ध द्वारा परिसम्पत्तियों का सृजन, उनका रख-रखाव, हर समय उनकी कार्यात्मकता, तकनीकी और प्रशासनिक अनुवीक्षण को भजबूत और पुनरुज्जीवित करके जनसाधारण के खर्च पर सृजित परिसम्पत्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है इसका आश्वासन, और कम से कम सक्षम तकनीकी सुविधा प्रदान करके संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना था।

पी. नारायण मूर्ती

नई दिल्ली
दिनांक : 11 Dec 2000

(पी. नारायण मूर्ती)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

विजय शुंगल

नई दिल्ली
दिनांक : 13 Dec 2000

(विजय कृष्ण शुंगल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-I

विभिन्न चरणों में योजनाओं का अनुमोदन

कार्य योजना	उ. प्र.	हरियाणा	दिल्ली	विहार	प. बंगाल	अनुमोदन का महीना	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि
यमुना कार्य योजना	8	6	1	-	-	अप्रैल 1993	मार्च 1999
यमुना कार्य योजना	-	6	-	-	-	अप्रैल 1996	मार्च 1999
गोमती	3	-	-	-	-	अप्रैल 1993	मार्च 1999
दामोदर	-	-	-	8	4	अक्टूबर 1996	मार्च 2001
गंगा (मुख्य धारा) वही	4 -	- -	- -	7 -	- 8	जुलाई 1995 अक्टूबर 1996	-वही- दिसम्बर 2001
गंगा (सुप्रीमकोर्ट नगर)	12	-	-	3	15	अक्टूबर 1996	दिसम्बर 2001
योग	27	12	1	18	27		

परिशिष्ट-II

विभिन्न घटकों का मिश्रण

क्र.सं.	निकाय	अध्यक्ष	सदस्य
1.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण	प्रधान मंत्री	सम्बन्धित मुख्यमंत्री केन्द्रीय मंत्री एवं संसद सदस्य
2.	स्थाई समिति	पर्यावरण एवं वन मंत्री सदस्य सचिव	योजना आयोग, सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय निदेशक विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र अतिरिक्त सचिव और परियोजना निदेशक राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय
3.	संचालन समिति	सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	सम्बन्धित राज्यों के मुख्य सचिव, केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विशिष्ट संगठन और कार्य योजना अनुमोदन विशेषज्ञ
4.	मॉनीटरिंग समिति	सदस्य (पर्यावरण) योजना आयोग, नई दिल्ली	सचिव (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय), विशेष सचिव (योजना आयोग), विशेष/कुछ संगठनों के कुछ विशेषज्ञ
5.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	परियोजना निदेशक	
6.	केन्द्रीय सरकार	-	विशिष्ट विभाग और केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग, और अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालय
7.	राज्य एजेन्सियां		जल और सीवेज बोर्ड, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय
8.	अनुसंधान समिति	डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन	-

परिशिष्ट-III

नोडल/कार्यान्वयन एजेसिन्सों के नाम

क्र. सं.	राज्य	नोडल एजेसिन्सी	कार्यान्वयन एजेसिन्सी
1.	हरियाणा	जन स्वास्थ्य शाखा, लोक निर्माण विभाग हरियाणा 1997 तक तथा जन स्वास्थ्य शाखा यमुना कार्य योजना प्रोजेक्ट	(i) जन स्वास्थ्य विभाग
2.	दिल्ली	शहरी विकास विभाग	(i) सीवेज कार्य के लिए दिल्ली जल बोर्ड (ii) गैर सीवेज कार्य के लिए दिल्ली नगर निगम
3.	उत्तर प्रदेश	शहरी विकास विभाग	(i) उत्तर प्रदेश जल निगम
4.	बिहार	शहरी विकास विभाग	(i) गंगा कार्य योजना के लिए बिहार राज्य जल परिषद (ii) दामोदर कार्य योजना के लिए खनिज एवं विकास प्राधिकरण
5.	पश्चिम बंगाल	शहरी विकास विभाग	(i) कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (ii) सिंचाइ एवं जल निदेशालय (iii) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी निदेशालय (iv) नगर अभियांत्रिकी निदेशालय (v) कलकत्ता महानगर जल और सफाई प्राधिकरण (vi) कलकत्ता नगर निगम

परिशिष्ट-IV

गंगा कार्य योजना में शामिल नगरों की संख्या जिनका जैव रासायनिक आकर्षीजन मांग डाऊन स्ट्रीम 3 मि. ग्रा./प्रति लीटर से ज्यादा नहीं है को दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	नगर का नाम	राज्य	जैव रसायन आकर्षीजन मांग
1.	झरिया	बिहार	1.4-3.0
2.	चिरकुड़ा	बिहार	1.4-3.0
3.	सुदामदीह	बिहार	0.2-2.8
4.	बोकारो-कारगिल	बिहार	0.4-1.0
5.	सिन्धी	बिहार	अप्राप्य
6.	तेलूमोचू	बिहार	अप्राप्य
7.	कहलगाँव	बिहार	0.80
8.	हाजीपुर	बिहार	2.20
9.	मोकामा	बिहार	2.21
10.	रानीपुर (बी एच ई एल) हरिद्वार	उ. प्र.	1.9
11.	बिजनौर	उ. प्र.	3.0
12.	चुनार	उ. प्र.	3.0
13.	काशीमठ	उ. प्र.	शून्य
14.	गोपेश्वर	उ. प्र.	शून्य
15.	कर्णप्रयाग	उ. प्र.	शून्य
16.	रुद्रप्रयाग	उ. प्र.	0.7
17.	बद्रीनाथ	उ. प्र.	अप्राप्य
18.	श्रीनगर	उ. प्र.	शून्य
19.	देवप्रयाग	उ. प्र.	अप्राप्य
20.	उत्तर काशी	उ. प्र.	अप्राप्य
21.	सरकुलर केनाल	प. ब.	1.2
22.	टोली नाला	प. ब.	1.2
23.	आसनसोल	प. ब.	2.0-3.0
24.	अन्दाल	प. ब.	2.0-3.0
25.	जांगीपुर	प. ब.	2.6
26.	महेशतला	प. ब.	2.8
27.	चाकदाह	प. ब.	2.8
28.	मुर्शीदाबाद	प. ब.	2.0

परिशिष्ट-V

डी. पी. आर. के प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन में देरी

क्र.सं.	स्कीम का नाम	राज्यों द्वारा डी. पी. के प्रस्तुतीकरण में लिया गया समय	एन आर सी डी. द्वारा टिप्पणियों सूचित करने में लिया गया समय	एन आर सी डी. को टिप्पणियों का जवाब देने में राज्यों द्वारा लिया गया समय	एन आर सी डी द्वारा डी.पी.आरस के अनुमोदन में लिया गया समय	प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन में लिया गया कुल समय	कुल देरी (कालम 7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पुराने कानपुर में विद्यमान सीवर एवं पम्पिंग स्टेशन का पुर्नउद्धार	31 (8/95 से 2/98)	-	-	3 (2/98 से 5/98)	34	30
2.	सी आई एस यमुना आगरा पर 78 एम एल डी एस टी पी	36 (11/93 से 11/96)	-	-	8 (12/98 से 8/97)	44	40
3.	इन्टरसेप्सन और डाइवरसन जोन-I पानीपत	5 (11/93 से 4/94)	-	-	10 (4/94 से 2/95)	15	11
4.	इन्टरसेप्सन और डाइवरसन जोन-I फरीदाबाद	5 (11/93 से 4/94)	(7/94 से 8/94) 5 (4/94 से 7/94)	(7/95 से 8/94) (10/94 से 5/94)	1 (5/95 से 8/945	19	15
5.	एल सी एस गढ़ मुक्तेश्वर	16 (8/95 से 12/96)	(12/96 से 12/96)	5 (1/97 से 6/97)	2 (7/97 से 8/97)	24	20
6.	एल सी एस विन्ध्याचल मिर्जापुर	11 (8/95 से 7/96)	-	-	4 (7/96 से 11/96)	15	11
7.	सेन नर्सिंग होम नाला, एस टी पी दिल्ली	7 (11/93 से 6/94)	-	-	10 (7/94 से 5/95)	17	13
8.	एस टी पी/एम पी एस गोहाना	15 (5/96 से 8/97)	-	-	2 (9/97 से 11/97)	17	13
9.	नोएडा में 27 एम एल डी एस टी पी	33 (11/93 से 8/96)	2 (9/96 से 10/96)	1 (11/96 से 12/96)	8 (12/96 से 8/97)	45	41
10.	पार्ट V मधुसामें इटरसेप्सन एवं डाइवरसन रेस्टोरेशन कार्य	12 (11/93 से 10/94)	-	-	3 (11/94 से 2/95)	15	11
11.	सी आई एस हिण्डन गाजियाबाद में एस टी पी	33 (11/95 से 8/96)	2 (9/96 से 11/96)	1 (12/96)	8 (1/97 से 8/97)	45	41
12.	इन्टरसेप्सन और डाइवरसन भाग-II नोएडा	28 (11/93 से 3/96)	2 (4/96 से 6/96)	2 (7/96 से 9/96)	1 (10/96)	35	31

परिशिष्ट-VI

डी ओ/बी ओ डी लेवल मिलीग्राम लीटर (मार्च)

क्र.सं.	स्टेशन	1995		1996		1997		1998		1999		2000		कुल कोलिफोरम
		डीओ	बीओडी	डीओ	बीओडी	डीओ	बीओडी	डीओ	बीओडी	डीओ	बीओडी	डीओ	बीओडी	
1.	ऋषिकेष	9.2	1.3	8.9	1.0	10.0	1.3	9.3	1.0	9.7	0.8			80
2.	हरिद्वार	8.6	1.6	8.4	1.1	9.9	1.4	9.9	1.1	9.3	1.0			140
3.	गढ़मुक्तेश्वर	अप्राप्य	1.8	8.2	1.4	8.8	1.6	8.1	2.7	8.7	1.2			300
4.	कन्नौज (यू/एस)	अप्राप्य	अप्राप्य	8.4	2.8	7.5	3.0	8.6	4.2	8.8	10.8			170
5.	कन्नौज (डी/एस)	अप्राप्य	अप्राप्य	7.9	3.2	7.8	3.6	8.0	3.0	10.0	7.2			220
6.	कानपुर (यू/एस)	अप्राप्य	अप्राप्य	8.2	2.8	7.9	2.8	8.4	3.6	10.0	7.2			2700
7.	कानपुर (डी/एस)	अप्राप्य	अप्राप्य	6.9	5.6	6.8	5.6	8.0	6.0	9.8	5.4			170000
8.	इलाहाबाद (यू/एस)	8.8	3.8	9.4	1.6	8.4	1.4	अप्राप्य	अप्राप्य	9.6	2.0			800
9.	इलाहाबाद (डी/एस)	8.2	3.4	8.6	2.8	8.8	1.6	अप्राप्य	अप्राप्य	8.8	2.2			340
10.	वाराणसी (यू/एस)	8.4	1.4	8.4	2.6	8.7	1.5	अप्राप्य	अप्राप्य	9.5	2.0			90
11.	वाराणसी (डी/एस)	7.8	1.2	8.5	2.8	7.7	3.0	अप्राप्य	अप्राप्य	8.6	3.2			170
12.	पटना (यू/एस)	7.9	1.7	7.6	1.5	अप्राप्य	अप्राप्य	7.6	2.0	8.5	1.7			2300
13.	पटना (डी/एस)	7.9	1.6	7.2	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	8.0	2.6	8.8	2.4			11000
14.	राजमहल	8.1	1.4	8.5	2.3	अप्राप्य	अप्राप्य	7.6	1.2	7.7	0.8			50000
15.	मोकामा	8.9	2.3	6.6	1.7	अप्राप्य	अप्राप्य	8.2	1.6	8.0	0.9			24000
16.	त्रिघाट	8.5	1.2	8.6	1.8	7.4	3.9	अप्राप्य	अप्राप्य	9.0	2.0			70
17.	पालटा	7.6	3.4	5.8	1.4	अप्राप्य	अप्राप्य	7.8	1.5	7.5*	3.2			अप्राप्य
18.	उलवेरिया	7.0	2.1	4.8	3.2	अप्राप्य	अप्राप्य	5.4	1.4	5.9	3.85*			अप्राप्य

*पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़े

19.	बहरामपुर	9.2	6.0	5.4	0.5	अप्राप्य	अप्राप्य	8.3	0.2	7.5*	2.0*		अप्राप्य
20.	दक्षिणेश्वर	7.4	2.2	4.8	0.7	अप्राप्य	अप्राप्य	7.4	3.0	7.2*	3.5*		अप्राप्य
21.	कोयलवार आने सोने	8.3	0.6	7.2	1.0	अप्राप्य	अप्राप्य	8.0	2.4	8.1	1.2		5000
22.	गंडक	अप्राप्य	अप्राप्य	7.3	1.5	अप्राप्य	अप्राप्य	7.0	0.6	अप्राप्य	अप्राप्य		अप्राप्य
23.	छपरा से घाघरा	अप्राप्य	अप्राप्य	7.4	1.0	अप्राप्य	अप्राप्य	8.0	8.1	7.9	1.4		3000
24.	रामगंगा कन्नौज	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	3.8	8.3	3.2	8.8	3.6	10.0	9.0		170
25.	कालिदी इलाहाबाद	अप्राप्य	अप्राप्य	8.3	3.2	7.6	4.0	8.6	3.0	9.8	6.0		500
26.	यमुना पर इलाहाबाद	8.8	1.8	8.8	2.3	7.6	2.9	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य	अप्राप्य		17000
27.	बक्सर	8.31	1.9	7.7	1.6	अप्राप्य	अप्राप्य	8.2	1.9	9.0	3.0		5000
28.	नीमसार	अप्राप्य	अप्राप्य	7.8	3.8	10.6	2.2	7.4	4.6	7.9	5.3		200
29.	भाटपुर	अप्राप्य	अप्राप्य	9.2	1.7	9.2	1.7	6.5	3.6	8.6	5.8		400
30.	गऊघाट	अप्राप्य	अप्राप्य	8.3	1.6	9.8	2.1	7.3	4.6	7.9	6.3		400
31.	मोहन भीकिंस डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	3.2	10.0	4.8	6.5	3.1	18.1	3.8	24.0		300000
32.	पेपराघाट	अप्राप्य	अप्राप्य	0.9	20.0	अप्राप्य	5.5	अप्राप्य	29.0	अप्राप्य	34.0		80000000
33.	बाराबंकी डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	5.9	8.3	3.1	4.3	2.8	14.5	4.1	23.0		1700
34.	सुल्तानपुर डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	9.9	3.8	10.5	2.8	8.7	6.8	9.1	6.9		1700
35.	जौनपुर डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	8.0	1.6	7.7	3.4	8.1	6.2	7.7	6.8		8000
36.	यमुनानगर यू/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	8.7	1.2	8.1	1.8	9.3	1.1	8.7	1.0		170
37.	यमुनानगर डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	8.5	1.1	8.3	1.7	8.7	1.6	8.6	1.1		220
38.	करनाल	अप्राप्य	अप्राप्य	8.8	1.0	7.6	2.3	8.1	1.8	8.5	1.3		240
39.	पानीपत	अप्राप्य	अप्राप्य	8.5	1.1	7.7	2.0	9.1	1.4	8.2	1.4		280
40.	सोनीपत प. य.	अप्राप्य	अप्राप्य	7.6	1.3	8.3	1.6	9.0	1.5	8.0	1.6		300
41.	महेशपुर	अप्राप्य	अप्राप्य	0.0	26.7	0.0	29.0	1.9	11.1	0.0	24.6		460000
42.	बरनावा	अप्राप्य	अप्राप्य	0.0	12.8	0.0	22.8	0.0	9.6	3.0	12.6		200

43.	धारुहेडा	अप्राप्य	अप्राप्य	0.9	8.1	1.2	16.2	2.4	3.2	3.5	15.3			400
44.	मोहननगर	अप्राप्य	अप्राप्य	0.0	9.9	अप्राप्य	10.5	2.8	7.1	2.0	14.6			शून्य
45.	नोएडा	अप्राप्य	अप्राप्य	5.0	6.9	1.3	9.0	0.8	7.5	2.5	16.5			460000
46.	ताजेवाला	अप्राप्य	अप्राप्य	13.2	1.4	12.5	<1	8.2	<1	8.6	1.0	7.3	<1	400
47.	कलानौर	अप्राप्य	अप्राप्य	11.0	1.1	12.0	<1	8.1	1.2	8.2	1.0	9.4	<1	700
48.	सोनीपत-यमुना	अप्राप्य	अप्राप्य	10.5	3.0	8.5	1.0	8.3	11.0	6.9	3.0	8.7	2	1000
49.	पल्ला	अप्राप्य	अप्राप्य	13.6	5.0	8.0	2.0	8.2	13.0	8.5	2.0	12.0	2	15000
50.	निजामुद्दीन	अप्राप्य	अप्राप्य	0.6	17.0	0.0	35.0	7.9	48.0	0.0	11.0	0.0	21	544000
51.	आगरा कैनाल	अप्राप्य	अप्राप्य	0.7	23.0	0.0	58.0	7.1	95.0	0.0	5.0	0.0	15	474000
52.	मजावली	अप्राप्य	अप्राप्य	0.1	25.0	0.0	34.0	8.2	19.0	3.9	8.0	2.0	21	126000
53.	मथुरा यू/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	11.1	3.0	5.3	6.0	8.2	8.0	17.2	8.0	14.0	12	24000
54.	मथुरा डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	9.4	2.0	8.7	4.0	8.3	25.0	15.7	7.0	6.9	17	126000
55.	आगरा यू/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	9.0	5.2	9.4	13.0	8.1	25.0	8.1	7.0	9.0	9	13000
56.	आगरा डी/एस	अप्राप्य	अप्राप्य	3.3	8.0	3.8	4.0	8.0	50.0	6.5	8.0	3.7	24	134000
57.	बटेश्वर	अप्राप्य	अप्राप्य	19.8	14.0	11.2	4.0	8.1	14.0	14.7	8.0	5.6	14	8000
58.	इटावा	अप्राप्य	अप्राप्य	13.7	7.0	7.5	4.0	8.0	29.0	17.8	8.0	7.6	—	3000
59.	यूडीआई	अप्राप्य	अप्राप्य	8.8	2.0	10.7	<1	8.2	4.0	11.3	3.0	8.9	1	400
60.	जुहीका	अप्राप्य	अप्राप्य	6.3	2.0	9.8	<1	8.2	11.0	17.1	3.0	9.9	2	3000

परिशिष्ट-VII

निधि प्रोग्राम से न जुड़ी हुई गतिविधियों की ओर निधि का विपथन

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	गतिविधि	समय	राशि
पश्चिम बंगाल	गंगा के पानी के गुणों पर प्रभावित न करने वाले मल-जल उपचार संयंत्रज के निर्माण		26.46
बिहार	कम्प्यूटर, जीरॉक्स मशीन, वाहन की खरीद और सर्किल कार्यालय का निर्माण	1986-89	0.24
	गंगा कार्य योजना से असंबंधित स्कीमें		7.06
उत्तर प्रदेश	कम लागत पर सफाई के देखरेख चार्जेज आकस्मिकाताएँ एवं कार्यालय स्थापना	—	0.20 2.11
कुल			36.07

परिशिष्ट-VIII

ब्याज की हानि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कार्य योजना	राज्य	समय	राशि
1.	गंगा कार्य योजना	पश्चिम बंगाल	1991-95	71.11
2.	यमुना कार्य योजना	दिल्ली	1993-2000	27.78
3.	गंगा कार्य योजना	बिहार	1986-2000	1,56.36
कुल				255.25